कौशल गुणवत्ता प्रगति

एनसीवीईटी परिषद की 7वीं बैठक का कार्यवृत्त

स्थान: एनसीवीईटी, कौशल भवन

दिनांक: 12 दिसंबर 2022

समय: दोपहर 12:00 बजे

फ़ाइल संख्या: 360004/04/2020/एनसीवीईटी
राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद की 12 दिसंबर 2022 को हुई 7वीं बैठक का कार्यवृत्त।

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की 7वीं परिषद बैठक एनसीवीईटी के अध्यक्ष डॉ. निर्मलजीत सिंह कल्सी की अध्यक्षता में 12 दिसंबर, 2022 को हुई थी। प्रतिभागियों की सूची **अनुबंध-I** में दी गई है।

परिषद के सदस्यों को अवगत कराया गया है कि श्री शैलेश कुमार सिंह, आईएएस को हाल में एसीसी द्वारा एक परिषद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका नामांकन एसीसी को तब भेजा गया था जब वे एमएसएमई में थे। तत्पश्चात उन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव के रैंक में पदोन्नत किया गया है। परिषद ने यह निर्णय लिया कि इस मामले को परिषद में एमएसएमई से दूसरे अधिकारी की नियुक्ति के लिए एसीसी को अनुरोध करने हेतु एमएसडीई के साथ उठाया जा सकता है।

बैठक के दौरान हुई कार्यसूची वार चर्चा और उसके बाद लिये गये प्रमुख निर्णयों का सारांश निम्नानुसार है:

1. **कार्यसूची मद सी0701: एनसीवीईटी परिषद की 6वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि करना**

13.07.2022 को हुई एनसीवीईटी परिषद की 6वीं बैठक का कार्यवृत्त परिषद के सदस्यों को परिचालित किया गया था। कोई टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

6वीं परिषद बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई थी।

कार्यसूची मद सी0702: ''एनसीवीईटी परिषद की 6वीं बैठक में लिये गये निर्णयों" पर की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट

2.1. परिषद की 6वीं बैठक में लिये गये निर्णयों संबंधी कृत कार्रवाई रिपोर्ट का विस्तृत ब्यौरा परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। परिषद के सदस्यों ने की गई कार्रवाई को नोट किया और उसको अनुमोदित किया। लंबित अनुपालनों संबंधी की गई कार्रवाई नीचे दी गई है:

क. कौशल विश्वविद्यालय दिशा निर्देशों का निर्माण: परिषद को सूचित किया गया था कि कौशल विश्वविद्यालय संबंधी मसौदा दिशानिर्देश एनसीवीईटी द्वारा बनाया गया है और सितंबर, 2022 में एमएसडीई के साथ शेयर किया गया है। कौशल विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ माननीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक की गई थी। साथ ही विभिन्न मुद्दों और उनके सामने आ रही चुनौतियों पर चर्चा की जा सके। इस बैठक में दिये गये निर्णय के आधार पर एमएसडीई ने कौशल विश्वविद्यलयों से संबंधित विभिन्न बारीकियों को अंतिम रूप देने के लिए कार्य करने हेतु विशिष्ट कार्यसूचियों के साथ तीन (03) कार्य समूह गठित किये हैं। यह सूचित किया गया था कि संबंधित कार्य समूहों की रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया गया है और सचिव एमएसडीई को प्रस्तुत किया गया है। परिषद ने इन रिपोर्टों के आलोक में मसौदा कौशल विश्वविद्यालय दिशानिर्देशों को अद्यतन बनाने और आगे की आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एमएसडीई के साथ उन्हें शेयर करने का सुझाव दिया था।

ख. सभी योग्यताओं में सामान्य एनओएस के रूप में रोजगार योग्यता कौशल (ईएस) को शामिल करना: परिषद को सूचित किया गया कि जैसा कि एमएसडीई की सलाह के अनुसार रोजगार योग्यता कौशल शुरू करते समय एनएसक्यूसी अनुमोदन के लिए लायी गई योग्यताओं की जांच के दौरान यह सुनिश्चित किया जा रहा था कि ईएसएनओएस को जोड़ने से डोमेन ज्ञान और कौशल में प्रशिक्षण की अवधि पर प्रभाव नहीं पड़ता है। परिषद को यह भी बताया गया था कि ईएसएनओएस और योग्यताओं के अन्य एनओएस के बीच विषयवस्तु के अति व्यापन पर प्रशिक्षार्थी को पुन: उसका प्रशिक्षण नहीं दिया जाये। तथापि, ईएस एनओएस का अनिवार्य रूप से आकलन किया जाएगा। परिषद ने सुझाव दिया कि एमएसडीई, पीएमकेवीवाई 4.0 और उक्त के संबंध में अन्य स्कीमों के कार्यान्वयन के भाग के रूप में उचित निर्देश/दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

जेएस, एमएसडीई ने बताया कि पीएमकेवीवाई 4.0 में कार्यान्वयन के लिए विचार की जा रही कुछ एनएसक्यूएफ सुमेलित और अनुमोदित योग्यताओं में अधिगम के घंटे योग्यताओं में कार्य पर प्रशिक्षण (ओजेटी) घटक के कारण 600 घंटे से अधिक हो गये हैं। आवश्यक विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया था कि मंत्रालय इस संबंध में उपयुक्त अनुदेश जारी कर सकता है कि उक्त स्कीम के अंतर्गत भुगतान के लिए अधिगम के घंटों पर 600 घंटों तक विचार किया जाएगा और यदि कोई ओजेटी आवश्यकता हो जो 600 घंटे की कुल अवधि से बाद की होती है तो उस पर पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत भुगतान नहीं किया जा सकता है।

ग. एनएसकयूएफ सुमेलित और अनुमोदित योग्यताओं के लिए कोड प्रदान करना: परिषद को सूचित किया गया कि 28 अप्रैल, 2022 को हुई 18वीं एनएसक्यूएफ बैठक में मौजूदा एनएसक्यूएफ सुमेलित और अनुमोदित योग्यताओं को नये योग्यता कोड प्रदान करने के चरणबद्ध कार्यान्वयन को अनुमोदित किया गया था। एनएसक्यूएफ सुमेलित और अनुमोदित एसएससी की योग्यताओं को नये कोड देने का चरण-**I** पूरा कर लिया गया है। गैर-एसएससी एबी के साथ चरण-**II** का कार्यान्वयन प्रक्रियाधीन है। नये योग्यता कोड नये एनक्यूआर पोर्टल पर दर्शाये जाएंगे जिसका

विकास हो रहा है।

पारदर्शिता स्पष्टता और कार्यान्वयन की सुगमता सुनिश्चित करने के लिए पुराने कोड भी एनक्यूआर पर दिखना जारी रहेंगे।

घ. **आवार्डिंग निकाय और आकलन एजेंसियों के लिए मान्यता शुल्कों का पुनरीक्षण :** परिषद को सूचित किया गया कि पिछली बैठक में परिषद द्वारा समझ में आसानी, प्रशासनिक सरलता के लिए यथा अधिदेशित और और विभिन्न हितार्थियों से प्राप्त प्रतिक्रिया के अनुसार कार्यालय आदेश (फ़ाइल संख्या 38004/01/2021/एनसीवीईटी दिनांक 01/08/2022) के माध्यम से एबी और एए के लिए मान्यता शुल्कों का पुनरीक्षण किया गया है। अब आवेदन जमा करते समय 25,000 रूपये का गैर-वापसी योग्य आवेदन प्रक्रिया शुल्क होगा और उसके बाद 1,00,000 रूपये (दोहरी श्रेणी के मामले में 2 लाख रूपये) का मान्यता शुल्क एलओआईजारी होने से पहले लागू है।

यह भी चर्चा की गई थी कि तीन वर्ष के पश्चात मान्यता के नवीकरण की प्रक्रिया विगत तीन वर्षों के लिए मान्यता प्राप्त निकाय की संचयी निगरानी के परिणाम पर आधारित होगी। मान्यता की अवधि आगे बढ़ाने के लिए पात्र निकायों से कोई नया आवेदन अपेक्षित नहीं होगा और उन्हें केवल समय-समय पर परिषद द्वारा यथा निर्णित अगले वर्षों के लिए अपेक्षित नवीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा।

यह भी बताया गया था कि इन संशोधनों को संशोधित एबी और एए दिशानिर्देशों में उपयुक्त ढंग से शामिल किया जाएगा जिन्हें एनसीवीईटी में तैयार किया जा रहा है।

ङ. व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में भारतीय भाषाओं के कार्यान्वयन संबंधी प्रगति: परिषद को सूचित किया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुक्रम में एनएसक्यूसी ने यह निर्णय लिया है और सभी एबी को मौजूदा एनएसक्यूएफ सुमेलित और अनुमोदित योग्यताओं का अनुवाद करने और 31 दिसंबर, 2022 तक भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार राजकीय भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराने का निदेश दिया है। परिषद को सूचित किया गया कि अब तक विभिन्न एबी की 829 एनएसक्यूएफ सुमेलित और अनुमोदित योग्यताओं तथा 150 एनएसक्यूएफ सुमेलित और अनुमोदित डीजीडी योग्यताओं को हिंदी में अनुवाद किया गया और अपलोड किया गया है। आवार्डिंग निकायों द्वारा शेष योग्यताओं के लिए इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के प्रयास किये जा रहे हैं। परिषद को बताया गया था कि ईएस एनओएस, एनसीआरफ मानकीकरण को शामिल करने के संदर्भ में योग्यताओं में चल रहे परिवर्तनों / युक्तिसंगत बनाने के मद्देनजर दिसंबर, 2022 तक सभी शेष योग्यताओं का अनुवाद संभव नहीं हो सकता है और इसके लिए समय बढ़ाने पर विचार करने का प्रस्ताव किया गया था।

परिषद ने इसे नोट कर लिया है।

च. एनक्यूआर और एनसीवीईटी वेबसाइट को अद्यतन बनाना:

i) **एनसीवीईटी वेबसाइट:** परिषद को सूचित किया गया कि एनसीवीईटी वेबसाइट की मसौदा संरचना तैयार है और डेवलपर के सर्वर पर उसका परीक्षण किया जा रहा है। वेबसाइट की विषयवस्तु को अंतिम रूप दिया गया है और जीईएम पंजीकृत विक्रेता द्वारा इसे शामिल किया जाएगा। सक्रिय होने की योजना गत तारीख जनवरी, 2023 है।

ii) **एनक्यूआर पोर्टल:** परिषद को सूचित किया गया कि विभिन्न हितार्थियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श बैठकों के बाद एनक्यूआर पोर्टल की संरचना हितार्थियों से प्राप्त जानकारी और सुझाव के आधार पर तैयार की गई है। इसके अलावा, एनएसडीसी से अपेक्षित आंकड़े प्राप्त हुए है और उन्हें एनक्यूआर में शामिल किया जा रहा है। मौजूदा एनक्यूआर पोर्टल से आंकड़े भी शामिल किये जा रहे हैं। सक्रिय होने की योजना गत तारीख जनवरी, 2023 है।

छ. एनओएस तथा सूक्ष्म प्रमाणपत्रों संबंधी एनसीवीईटी दिशानिर्देशों की स्थिति : परिषद को सूचित किया गया था कि मसौदा एनओएस और मसौदा सूक्ष्म प्रमाणपत्र दिशानिर्देश जनता से परामर्श हेतु रखे गये थे। इन दिशानिर्देशों को संगत टिप्पणियों को शामिल करने के बाद अंतिम रूप दिया गया है।

एनओएस तथा सूक्ष्म प्रमाण पत्रों के दिशा निर्देशों के अंतिम मसौदे को परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था। दिशानिर्देशों को एनसीवीईटी द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

ज. एए दिशा निर्देशों, प्रचालनों और एए करार में प्रस्तावित संशोधन : परिषद को सूचित किया गया कि एए दिशानिर्देशों के एक व्यापक रूप से संशोधित मसौदे को मौजूदा दिशानिर्देशों में हुए अनेक परिवर्तनों/संशोधनों को शामिल करते हुए तैयार किया जा रहा है। एक बार मसौदा दस्तावेज के तैयार होने पर विभिन्न हितार्थियों के साथ परामर्श किये जाएंगे और समुचित सुझावों को शामिल करने के बाद अंतिम मसौदा दिशानिर्देश जनता से परामर्श हेतु प्रस्तुत किये जाएंगे। इस मसौदे को परिषद के सभी सदस्यों के साथ उनकी जानकारी और परिषद के तत्पश्चात अनुमोदन /अनुसमर्थन के लिए शेयर किया जाएगा।

झ. **एचटीएल भवन के वर्तमान परिषद के पट्टे का विस्तार और नये भवन के लिए स्थान उपयोग योजना :** परिषद को अवगत कराया गया है कि न्यू कौशल भवन, चाणक्यपुरी में स्थायी परिषद की स्थान उपयोग योजना एनसीवीईटी परिषद के सचिव द्वारा एमएसडीई और एनबीसीसी के साथ समन्वित की जा रही है। एमएसडीई अधिकारियों के साथ परिषद के लिए एक संयुक्त दौरा भी किया गया है और एनबीसीसी के अधिकारियों को स्थान उपयोग योजना पर चर्चा करने के लिए एनसीवीईटी में आमंत्रित किया गया था। एनसीवीईटी के अध्यक्ष ने इस मामले पर चर्चा भी की है और इस संबंध में एमएसडीई के सचिव के साथ कार्यात्मक सरोकारों पर बातचीत की है।

ञ. एनसीवीईटी में प्रशिक्षुओं को नियोजित करना : इस मामले पर पृथक कार्यसूची मद सी0711, पैरा 11.8 के अंतर्गत चर्चा की गई है।

3. कार्यसूची मद सी0703 : आवार्डिंग निकाय / आकलन एजेंसी मान्यता दर्जा और अनुसमर्थन

3.1. परिषद को नीचे दिये गये सारांश के अनुसार एबी और एए प्रस्तावों के वर्तमान दर्जे के बारे में अद्यतन जानकारी दी गई थी। (**एबी और एए के प्रस्तावों के ब्यौरे क्रमश: अनुबंध-II और अनुबंध-III** में संलग्न **हैं)**

मान्यता प्रक्रिया के चरण	एबी	एए
मान्यता प्रदान करने के लिए करार पर हस्ताक्षर	39	0

एलओआई जारी की गई और अनंतिम मान्यता दी गई (अनुपालन/करार पर हस्ताक्षर होने तक)	31	46
उपसमिति की बैठक की गई और आवेदक निकायों से अनुपालन की प्रतीक्षा	06	07
आवेदक निकायों से अनुरोध का पुनर्निर्धारण/ आवेदक निकायों से सूचना की प्रतीक्षा / नये प्रस्ताव/ विस्तृत जांच चरण	09	15
आवेदक निकायों द्वारा वापस लिए गए प्रस्ताव	11	39
पात्र नहीं पाए गए आवेदक निकाय	19	86
कुल आवेदक निकाय	**11 5**	**173**

(12.12.2022 के अनुसार स्थिति)

3.2. समिति के सदस्यों को यह भी अवगत कराया गया कि भारतीय सशस्त्र बलों (थल सेना, नौसेना और वायु सेना) ने आवार्डिंग निकाय (दोहरी श्रेणी) के रूप में एनसीवीईटी मान्यता हेतु अपने आवेदन प्रस्तुत किये हैं। भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय सेना के 17 निदेशालयों में से 15 को आशय का पत्र जारी किया गया है और अनंतिम मान्यता दी गई है। भारतीय सेना के शेष दो निदेशालयों का मामला प्रक्रियाधीन है।

3.3 अध्यक्ष ने परिषद के सदस्यों को यह भी सूचित किया कि पियर्सन वीयूई, टीसीएस आईओएन, एसएचएल आदि सहित अनेक प्रमुख वैश्विक आंकलन एजेंसियों ने एनसीवीईटी की आकलन एजेंसी के रूप में मान्यता हेतु आवेदन किया था। इनमें से अधिकांश को एनओआई जारी किया गया है और अनंतिम मान्यता दी गई है। जबकि पियर्सन वीयूई का मामला एलओआई जारी करने हेतु प्रक्रियाधीन है।

3.4. परिषद को अवगत कराया गया है कि एए के साथ करार पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी क्योंकि करार का मसौदा कानूनी विदिक्षा के लिए एमएसडीई के जरिये विधिक कार्य विभाग (डीएलए), विधि और न्याय मंत्रालय को भेजा गया था। विधिवत रूप से विधिक्षित मसौदा करार जिसे एए के साथ हस्ताक्षरित किया जाना है। अभी हाल में डीएलए/एमएसडीई से प्राप्त हुआ है और आगे की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू होगी। मसौदा एए करार **अनुबंध IV** पर संलग्न है। डीएलए द्वारा सुझाये गये परिवर्तनों को मसौदा करार में शामिल किया गया है। यद्यपि डीएलए ने करार की कानूनी विधिक्षा की है फिर भी यह का सुझाव दिया गया है कि क्या करार प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय अपेक्षाओं को पूरा

करता है, इस बात को एए के साथ करार पर हस्ताक्षर करते समय सुनिश्चित किया जाएगा।

3.5. परिषद ने आवार्डिंग निकायों और आकलन एजेंसियों की मान्यता के संबंध में अबतक हुई प्रगति को नोट किया है। परिषद ने दोहरे मान्यता के लिए प्रस्तावों सहित एबी प्रस्तावों संबंधी निर्णयों का अनुसमर्थन किया है और परिषद द्वारा इस प्रयोजनार्थ अधिकार प्राप्त उपसमिति द्वारा लिये गये एए प्रस्ताव ऊपर पैरा 3.1 के अंतर्गत सूचीबद्ध तालिका के अनुसार हैं।

4. कार्यसूची मद सी0704 : एनसीवीईटी प्रमाण पत्रों के लिए संशोधित टेम्पलेट

4.1. परिषद को अवगत कराया गया कि अनेक गतिविधियों के कारण प्रमाण पत्रों के टेम्पलेट को पुन: डिजाइन करना आवश्यक हो गया। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i) सभी स्कीमों के नाम और लोगो को शामिल करना।

ii) विभिन्न प्रकार के आवार्डिंग निकायों और प्रमाणन को पूरा करना जिसमें सरकारी और सरकार द्वारा चलायी गई स्कीमें, भारतीय सशस्त्र बलों की योग्यतायें, उद्योग तथा ओईएम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुल्क आधारित कार्यक्रम आदि शामिल हैं।

iii) राष्ट्रीय क्रेडिट कार्यढांचे के अनुसरण में एनसीआरएफ क्रेडिट स्तरों और क्रेडिटों को शामिल करना।

iv) प्रमाण पत्र को अधिक आकर्षक बनाने के लिए डिजाइन से संबंधी परिवर्तन।

v) कार्यान्वयन को सरल, तीव्र और समझने में आसान बनाने के लिए मानकीकृत अनेक प्रपत्र सृजित करना।

4.2. तदनुसार, एनसीवीईटी मान्यता प्राप्त एबी द्वारा संबंधित एनएसक्यूएफ सुमेलित और अनुमोदित योग्यताओं में सफल आकलन के पश्चात प्रशिक्षुओं को जारी करने के लिए 24वीं एनएसक्यूसी बैठक में प्रमाण पत्रों नौ (9) भिन्न-भिन्न प्रपत्रों को विकसित और अनुमोदित किया गया है। ये टेम्पलेट **अनुबंध-v** पर हैं। प्रमाण पत्रों की किसी भावी जरूरत को भी इन मानक डिजाइनों से सुमेलित किया जाएगा।

4.3. परिषद के ध्यान में यह बात लाई गई कि वर्तमान में प्रमाण पत्रों को स्किल इंडिया पोर्टल के माध्यम से केंद्रीय रूप से बनाया जा रहा है। तथापि, एनसीवीईटी द्वारा जारी मानक प्रपत्र का कभी-कभी पालन नहीं किया जाता है। जेएस, एमएसडीई ने परिषद को आश्वस्त किया कि एसआईपी को तत्काल प्रभाव से परिषद द्वारा अनुमोदित टेम्पलेट का

पूर्णत: पालन करते हुए अपने प्रमाण पत्र सुमेलित करने होंगे।

4.4. परिषद ने उक्त कार्रवाई को नोट किया, इस संबंध में प्रयासों की सराहना की और इसका अनुसमर्थन किया।

5. कार्यसूची मद सी0705: राष्ट्रीय क्रेडिट कार्यढांचे (एनसीआरएफ) संबंधी संक्षिप्त ब्यौरा

5.1. परिषद को अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुक्रम में शैक्षणिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा को समेकित करते हुए एक क्रेडिट कार्यढांचा बनाने हेतु माननीय एसडीई मंत्री के दिशानिर्देशों के अनुपालन में भारत सरकार ने 18 नवंबर, 2018 के आदेश द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) गठित की थी। तदनुसार, एनसीवीईटी की अध्यक्षता वाली इस उच्च स्तरीय समिति को अधिगम के शैक्षिक और व्यावसायिक डोमेन / घटकों का समेकन संभव बनाने और इन दोनों के बीच लोचशीलता और आवागमन सुनिश्चित करने के लिए एक क्रेडिट संग्रह और अंतरण कार्यढांचा बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

5.2. समिति ने 12 बैठकों में अनेक विचार-विमर्श के बाद अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया। इसके अलावा, राज्य स्कूल बोर्डों और राज्य उच्चतर शिक्षा / तकनीकी शिक्षा / स्कूल शिक्षा विभागों के सचिवों, राज्य स्कूल बोर्डों, एनसीएफ के 25 फोकस समूहों, कुलपतियों/ डीनों, कौशल विश्वविद्यालयों सहित विभिन्न विश्वविद्यालय आदि के साथ अनेक मंत्रणायें भी की गई थी। यह रिपोर्ट एचएलसी के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर के समर्थन के पश्चात माननीय एसडीई मंत्री को प्रस्तुत की गई थी।

5.3. इसके अलावा, आईआईटी, आईआईएसईआरएस, एनआईटी, आईआईटी के साथ उनके विचारों/ अवलोकनों के लिए परामर्श भी किये गये हैं। तद्नुसार, मसौदा क्रेडिट कार्यढांचे की अंतिम रिपोर्ट आधिकारिक रूप से एमएसडीई को प्रस्तुत की गई थी जिसे देश भर में अनेक जागरूकता और परामर्शी कार्यशालाओं के बीच 19 अक्टूबर, 2022 से 30 नवंबर, 2022 तक सार्वजनिक विचार-विमर्श हेतु रखा गया था। एनसीवीईटी के अधिकारियों और परामर्शदाताओं ने आईआईटी दिल्ली, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, मुम्बई और मद्रास में क्रमश: 21, 24, 26, 28 और 29 नवंबर, 2022 को आयोजित जागरूकता अभियानों में सक्रिय रूप से भागीदारी की थी। कार्यशाला के फीडबैक और प्राप्त टिप्पणियों और सुझावों के आधार पर कार्यढांचे को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है।

5.4. परिषद ने प्रशंसा के साथ नोट किया । सभी सदस्यों से एनसीआरफ संबंधी कोई जानकारी/ सुझाव एनसीवीईटी के साथ शीघ्र शेयर करने का अनुरोध भी किया गया था।

6. कार्यसूची मद सी0706: राष्ट्रीय कौशल योग्यता कार्यढांचे (एनएसक्यूएफ) के पुनरीक्षण संबंधी दिशानिर्देश

6.1. परिषद को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय कौशल योग्यता कार्यढांचा (एनएसक्यूएफ) को कौशल विकास संबंधी मंत्रिमंडल समिति के निर्णय के अनुपालन में उक्त मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय सक्षमता आधारित कौशल कार्यढांचे के रूप में 27 दिसंबर, 2013 के अधिसूचित किया गया था जो व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण/ कौशल तथा व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण तथा कौशल सामान्य शिक्षा दोनों के बीच आवागमन को सुगम बनाने के लिए क्षैतिज तथा उर्ध्वाधर के लिए अनेक पद्धतियां प्रदान करता है।

6.2. बदलते हुए शैक्षिक और कौशल पारितंत्र के परिदृश्य को देखते हुए और एनईपी 2020 तथा राष्ट्रीय क्रेडिट कार्यढांचे (वर्तमान में अंतिम रूप दिये जाने के अधीन) जैसी परिवर्तनकारी नीतियां शुरू होने के साथ एनएसक्यूएफ को निम्नलिखित पहलुओं हेतु व्यवस्था करने के लिए पुरनीक्षित करने की तत्काल आवश्यकता थी जिसे अपने सभी हितार्थियों के साथ परामर्श करके एनसीवीईटी द्वारा किया गया है।

क) प्रवेश मापदंड, मानक घंटे आदि जैसे योग्यता मानदंडों का मानकीकरण।

ख) नये स्तरों के अनुसार पूर्ववर्ती अधिकतम 10 के स्तर से 8 स्तर तक एनएसक्यूएफ स्तरों और वर्णनों का पुनरीक्षण।

ग) योग्यता - फाइल टेम्पलेट का पुनरीक्षण और असंगठित / विरासत क्षेत्रों, एनओएस, सूक्ष्म प्रमाण पत्रों और ओईएम आधारित योग्यताओं से संबंधित योग्यताओं को पूरा करने के लिए नये टेम्पलेट विकसित करना।

घ) सूक्ष्म प्रमाण पत्रों एनओएस और ओईएम आधारित योग्यताओं संबंधी नई नीतियों के लिए व्यवस्था करना ।

ङ) विभिन्न योग्यता प्रकारों को उनके धारणात्मक घंटों और एनएसक्यूएफ स्तर के अनुसार 30, 60, 90 और 120 घंटों की व्यवस्था के लिए विभिन्न घंटों के अनिवार्य रोजगार योग्यता एनओएस को शामिल करना।

च) उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार योग्यताओं में ओजेटी घटक शामिल करने की सिफारिश करना ।

छ) अनेकता से बचने के लिए अद्वितीय योग्यता कोड पर पुनर्विचार करना।

ज) व्यावसायिक पारितंत्र में जारी किये जा रहे प्रमाण पत्रों में मानकीकरण और एकरूपता लाने के लिए प्रमाण पत्र टेम्पलेटों का पुनरीक्षण।

6.3. परिषद ने इस संबंध में किये गये प्रयासों की सराहना की और यह इच्छा प्रकट की

कि अंतिम दिशा निर्देशों को तैयार किये जाने और अधिसूचित करने से पहले परिषद के सदस्यों को उनकी जानकारी हेतु शेयर करते समय सार्वजनिक परामर्श के लिए भी रखा जाए।

7. कार्यसूची मद सी0707: आवार्डिंग निकाय और आकलन एजेंसी दिशा निर्देशों का व्यापक पुनरीक्षण

7.1. ''आवार्डिंग निकाय की मान्यता और विनियमन के लिए दिशानिर्देशों'' और ''आकलन एजेंसी की मान्यता और विनियमन के लिए दिशानिर्देशों'' को 27 अक्टूबर, 2022 को आरंभ किया गया था। इन दिशानिर्देशों को आवार्डिंग निकाय या आकलन एजेंसी के रूप में एनसीवीईटी मान्यता की मांग करने वाले आवेदकों द्वारा संदर्भ दस्तावेजों के रूप में प्रयोग किया गया था।

7.2. परिषद को सूचित किया गया कि इन दिशानिर्देशों को कार्यान्वयन के दौरान हितार्थियों से प्राप्त फीडबैक और सुझावों के अनुसार व्यापक रूप से पुनरीक्षित किया जा रहा है। इसके अलावा, बदलते हुये शैक्षिक और कौशल पारितंत्र परिदृश्य के मद्देनजर और एनईपी 2020 तथा एनसीआरफ (वर्तमान में अंतिम रूप देने के अधीन) जैसी परिवर्तनकारी नीतियां शुरू होने के साथ एनएसक्यूएफ को पुनरीक्षित किया जा रहा है जिससे आवार्डिंग निकाय और आकलन एजेंसी दिशानिर्देशों का पुनरीक्षण आवश्यक हो जाएगा।

7.3. पुनरीक्षण के दौरान दिशानिर्देशों के अनेक पहलुओं पर हितार्थियों के साथ चर्चा की गई है जैसे आवार्डिंग निकाय/ आकलन एजेंसी के लिए मान्यता की प्रक्रिया, रेटिंग और चयन के लिए मापदंडों को और अधिक सुचारू बनान, मिश्रित अधिगम की व्यवस्था और राष्ट्रीय क्रेडिट कार्यढांचा, कुशल और कारगर आकलन के लिए नयी नवाचारी आकलन पद्धतियों का प्रस्ताव करना आदि।

7.4. इन पुनरीक्षित दिशानिर्देशों को तैयार किया जा रहा है और इसका मसौदा परिषद के सदस्यों के साथ उनकी निविष्टियों और आगे मार्गदर्शन के लिए शेयर किया जाएगा।

7.5. परिषद ने इसे नोट किया और यह इच्छा प्रकट की कि मसौदा दिशा निर्देशों को परिषद के सदस्यों के साथ शेयर किया जाये और अंतिम रूप देने और अधिसूचित करने से पहले जनता के परामर्श हेतु उनकी निविष्टियों के लिए रखा जाये।

8. कार्यसूची मद सी0708: पूर्व अधिगम की मान्यता संबंधी दिशानिर्देश (आरपीएल)

8.1. समिति को सूचित किया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 सभी के लिए जीवन भर अधिगम सुनिश्चित करने पर जोर देती है तथा आरपीएल और त्वरित अधिगम प्रदान करती है। आरपीएल दक्षता, कौशल और प्राप्त पेशेवर स्तर, अधिगम के परिणाम को मान्यता देने के साधन के रूप में कार्य कर सकता है जिन्हें औपचारिक या अनौपचारिक अधिगम के दौरान प्राप्त किया गया है, किसी व्यक्ति की मौलिक साक्षरता और शिक्षा जिसे या तो अनौपचारिक या औपचारिक या अधिगम के पारंपरिक तरीकों के जरिये मुख्यत: प्राप्त किया गया है, को मान्यता देता है। इससे व्यक्तियों को एक अधिक औपचारिक और कारगर रूप से अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर क्षमताओं को प्रदर्शित करने में मदद मिलेगी और व्यावसायिक तथा सामान्य शिक्षा में मुख्य धारा में लाने के लिए एक मार्ग उपलब्ध होगा। आरपीएल जीवन भर सीखने को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरक नीति/ दिशानिर्देश के रूप में भी कार्य करता है।

8.2. आरपीएल संबंधी संशोधित दिशानिर्देश एनसीवीईटी तैयार किये जा रहे हैं। ये दिशानिर्देश किसी व्यक्ति/ आवेदक के पूर्व अधिगम की प्रमुख बातों को शामिल करने के लिए दिशानिर्देश बनाता है और आरपीएल आकलनों के लिए नये, व्यावहारिक, विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठ तरीके भी प्रदान करता है जो पारंपरिक पद्धतियों से कहीं अधिक हो सकते हैं। मसौदा आरपीएल दिशानिर्देशों की कुछ मुख्य-मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

क) यह कौशल पारितंत्र में आरपीएल के कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है।

ख) दक्षता के विभिन्न स्तरों के लिए आकलन की विभिन्न पद्धतियां प्रदान करता है जिसमें आकलन प्रक्रिया के बढ़ते हुए स्तर और कठिनाइयां अपेक्षित हैं जो आरपीएल प्रक्रिया की विश्वसनीयता को बनाये रखने के लिए अपेक्षित है।

ग) विभिन्न एनएसक्यूएफ स्तरों के लिए सुप्रस्तावति आरपीएल आकलन मॉडल सभी क्षेत्रों के भीतर और उनमें उपलब्ध कराये जाएंगे।

घ) आरपीएल के जरिये क्रेडिट अर्जित करने और क्रेडिट के शैक्षणिक बैंक (एबीसी) में क्रेडिटों के संचय का प्रावधान।

ङ) आकलनों के मिश्रित तरीकों सहित आकलन के नये और नवोन्मेषी तरीके शुरू करना ।

च) औद्योगिक निकायों को उनकी जनशक्ति के लिए आरपीएल संचालित करने हेतु सशक्त बनाना।

छ) विशिष्ट क्रेडों के विधिवत रूप से मान्यता प्राप्त मास्टरों तथा पारंपरिक और विरासत कौशल द्वारा पारंपरिक/ स्वदेशी कौशलों के लिए आरपीएल ।

ज) आरपीएल संचालित करने के लिए एबी और एए के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं आदान-

प्रदान का प्रावधान करना ।

8.3 परिषद को अवगत कराया गया है कि एनसीवीईटी में आरपीएल दिशानिर्देशों को एक परामर्शी प्रक्रिया में तैयार किया जा रहा है। दिशानिर्देशों के अनेक पहलुओं पर चर्चा के लिए विभिन्न हितार्थियों की बैठक की गई है।

8.4 परिषद ने इसे नोट किया और यह इच्छा प्रकट की कि मसोदा दिशा निर्देशों को अंतिम रूप देने और अधिसूचित करने से पहले उनकी निविष्टियों हेतु सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रस्तुत किये जाने के साथ-साथ परिषद के सदस्यों के साथ शेयर किये जाएं।

9. कार्यसूची मद सी0709: कार्यसूची मद सी0709: राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनओएस) और सूक्ष्म प्रमाण पत्रों संबंधी दिशानिर्देश

9.1 परिषद को अवगत कराया गया कि संबंधित प्रशिक्षण मानकों और आकलनों के लिए एक ऐसे स्वतंत्र राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनओएस) को तैयार करने और अनुमोदित करने की निरंतर आवश्यकता देखी गई थी जो कार्य स्थल की रोजगार अपेक्षाओं और मानव पूंजी विकास (अर्थात शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों) को जोड़ दे।

9.2. उद्योग आधारित कौशल विकास के लिए एनएसक्यूएफ सूक्ष्म - प्रमाण पत्रों की आवश्यकता इस पारितंत्र में एक स्थापित अपेक्षा है। इनमें से कुछ एकल/ अन्य एनओएस और सूक्ष्म प्रमाण पत्र सेतु पाठ्यक्रमों, कौशल विकास, अनेक प्रवेश और निकास मार्गों को सुगम बनाने, पार क्षेत्रीय योग्यता विकास को सुगम बनाने आदि के लिए अपेक्षित हैं।

9.3. एनओएस और सूक्ष्म प्रमाण पत्रों के लिए मसौदा नीतियां तैयार की गई थी और एसएससी सहित हितार्थियों के साथ शेयर की गई हैं। हितार्थियों से प्राप्त निविष्टियों के आधार पर नीतियां संशोधित की गई थीं और 12.7.2022 को जन परामर्श के लिए उन्हें एनसीवीईटी की वेबसाइट पर डाला गया था।

9.4 परिषद ने उपयुक्त संपादकीय परिवर्तनों/ संशोधनों के साथ अधिसूचना हेतु मसौदा दिशा निर्देशों को अनुमोदित किया है।

10.कार्यसूची सी0710: डिजिटल उद्यम पोर्टल (डीईपी) के कार्यान्वयन की स्थिति

10.1 परिषद को सूचित किया गया कि ई-जीईएम पर आवश्यक बोली प्रक्रिया का पालन करने के बाद एनसीवीईटी ने आईटी प्रणाली का डिजाइन बनाने और एनसीवीईटी के लिए प्रोग्राम प्रबंधन यूनिट (पीएमयू) स्थापित करने के लिए आर एफ पी बोली प्रक्रिया

को तैयार करने और उसके प्रबंधन के लिए दिनांक **26.8.2022** को डिलॉयट टचे तोहमात्सू इंडिया एलएलपी को चयनित और उसके साथ करार पर हस्ताक्षर किये हैं।

10.2. परिषद को सूचित किया गया कि आई टी समर्थन के कार्यान्वयन के लिए किसी एजेंसी को नियोजित करने केआरएफपी को दिसंबर, 2022 के मध्य तक डिलॉयट द्वारा प्रस्तुत किये जाने की उम्मीद है। यह भी स्पष्ट किया गया कि डीईपी को वास्तविक समय पर एपीआई समेकन के जरिये एनएसडीसी के एसआईपी 2.0 के साथ सुमेलित किया जाएगा। जेएस एमएसडीई से अनुरोध किया गया और उन्होंने ने आश्वस्त किया कि एनक्यूआर और एनसीवीईटी डिजिटल उद्यम पोर्टल के साथ एसआईपी 2.0 को सुमेलित करने के लिए, एपीआई के जरिये एनक्यूआर से योग्यता संबंधी सूचना प्राप्त करते हुए एनएसडीसी, एनसीवीईटी के साथ घनिष्ठता से कार्य करेगा।

10.3. आरएफबी जारी होने के बाद खुली प्रक्रिया के जरिये सॉफ्टवेयर विकास वेंडर का चयन किया जाएगा जो एनसीवीईटी के टेक पोर्टल को तैयार करेगा। इस गतिविधि पर ऊपर यथा उल्लिखित डिलॉयट की टीएमयू टीम द्वारा पर्यवेक्षण किया जाएगा। साफ्टवेयर विक्रेता की चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में 2 से 3 महीने लग सकते हैं जबकि साफ्टवेयर विकास और परीक्षण में 6 से 8 महीने लगेंगे।

10.4. यह भी स्पष्ट किया गया कि अद्यतन एनसीवीईटी वेबसाइट और एनक्यूआर पोर्टल को संभव सीमा तक डिजिटल उद्यम में सम्मिलित किया जाएगा।

10.5. समिति ने डिजिटल उद्यम पोर्टल के कार्यान्वयन की स्थिति को नोट किया और यह इच्छा प्रकट की कि इसे अति शीघ्र पूरा कर लिया जाये।

11.कार्यसूची सी0611: एनसीवीईटी के प्रशासनिक मामले

11.1 2021-22 के लिए एनसीवीईटी के वार्षिक लेखाओं का अनुमोदन

परिषद को सूचित किया गया कि सीएजी ने एनसीवीईटी के लेखाओं के सत्यापन और उन्हें अंतिम देने तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विवरणी प्रस्तुत करने के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म (एससी भगत एंड कंपनी) को नियोजित किया है। इस सीए फर्म ने कार्य पूरा कर लिया है और 1.4.2021 से 31.3.2022 की अवधि के लिए एनसीवीईटी के अंतिम लेखा प्रस्तुत किये हैं जिन्हें एनसीवीईटी परिषद द्वारा पहले ही अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

परिषद ने इसे नोट किया ।

11.2. समय-समय पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी डीए और तदर्थ बोनस आदेशों को अपनाना

परिषद को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि 7वें सीपीसी के कार्यान्वयन के बाद एमओएफ ने सरकारी प्रतिष्ठानों के अनुरूप डीए और तदर्थ बोनस के कार्यान्वयन के लिए स्वायत्त निकायों हेतु पृथक आदेश जारी करने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है।

तदनुसार, एनसीवीईटी ने सरकारी प्रतिष्ठानों के वेतन और भत्तों (7वें सीपीसी के अनुसार) के समतुल्य 7वें सीपीसी और अन्य भत्तों को स्वीकार किया है। यह प्रस्तावित था कि वित्त मंत्रालय के आदेशों के आधार पर एनसीवीईटी भारत सरकार द्वारा डीए में वृद्धि और तदर्थ बोनस प्रदान किये जाने के समय अपने पात्र अधिकारियों के लिए एमओएफ के उसी आदेश को अपना सकता है।

परिषद ने इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया

11.3 केनरा बैंक में सीएनए खाता और संलग्न सहायक खाता खोलने के लिए अनुसमर्थन

क) परिषद की जानकारी में यह बात लाई गई कि एमएसडीई की स्कीमों के अंतर्गत निधि के प्रवाह के संशोधित तंत्र की निगरानी के लिए सीसीए की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश के अनुसार एनसीवीईटी के लिए अपनी स्वयं की खपत या किसी स्कीम के अंतर्गत एमएसडीई से कोई निधि प्राप्त करने के लिए और अन्य कार्यान्वयन एजेंसी को उसके अंतरण के लिए एक सीएनए खाता खोलना अपेक्षित है ताकि यह सुनिश्चित हो कि निधियों की कोई पार्किंग न हो और यह कि विशाल- बोर्ड के जरिये निधियों के प्रवास संबंधी वास्तविक समय की सूचना प्राप्त हो। इसके अलावा पूर्ववर्ती खाते को बंद करना अपेक्षित है और उसके अव्ययित शेष को सीएनए खाते में हस्तांतरित करना अपेक्षित है। एनसीवीईटी को " विनियामक संस्था को सहायता" स्कीम के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के रूप में भी निर्दिष्ट किया गया है और केनरा बैंक को सीएनए खाता खोलने के लिए चुना गया है।

ख) परिषद को यह सूचित किया गया कि सीएनए खाता और शून्य शेष सहायक खाता ओएम फा.सं.1 (18)/पीएफएमएस/एफसीडी/2021 दिनांक 9 मार्च, 2022, डीओई, एमओएफ, के माध्यम से विहित केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम के अंतर्गत निधियों के प्रवाह के लिए संशोधित प्रक्रिया के अनुसार केनरा बैंक की संसद मार्ग शाखा में खोला गया है और सीएनए खाते के लिए वही प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हैं जो एनसीवीईटी के मौजूदा खाता संख्या 1098101102359 केनरा बैंक संसद मार्ग, नई दिल्ली के लिए हैं।

परिषद ने केनरा बैंक में सीएनए खाता और संलग्न सहायक खाता खोलने तथा सीएनए खाते के लिए उसी प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का अनुसमर्थन किया जो केनरा बैंक के मौजूदा एनसीवीईटी खाते के लिए हैं।

11.4 एचटीएल भवन के वर्तमान परिषर में पट्टे का विस्तार :

परिषद को अवगत कराया गया है कि वर्तमान में एनसीवीईटी मैसर्स हिंदुस्तान टाइम्स, बी-2 पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली के एक किराये के भवन से अपने कार्यालय का प्रचालन कर रहा है। एमएसडीई को अवगत कराया गया कि इस पट्टाधारक को तीन महीने का अग्रिम नोटिस दिया जाना है। एमएसडीई ने एनसीवीईटी और हिंदुस्तान टाइम लि0 के बीच 31 मार्च, 2023 तक मौजूदा पट्टा करार का समय बढ़ाने के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन सूचित किया है।

तदनुसार, वर्तमान पट्टा परिषर का 31 मार्च, 2023 तक समय विस्तार किया गया है और हिंदुस्तान टाइम लि० को परिषर शांतिपूर्ण ढंग से खाली करने के लिए 3 महीने से अधिक का अग्रिम नोटिस दिया गया है।

परिषद ने इसका समर्थन किया और इसे नोट किया । परिषद ने दिसंबर, *2022* के अंत तक कौशल भवन, चाणक्यपुरी में एनसीवीईटी के परिषर के संबंध में पूरा होने की स्थिति पर अद्यतन जानकारी का भी सुझाव दिया। ताकि आगे की उचित कार्रवाई समय पर की जा सके।

11.5. वर्क फ्राम होम (डब्ल्यूएफएच):

समिति को सूचित किया गया कि पिछले कुछ महीनों/ पिछले वर्ष के दौरान एनसीवीईटी का कार्य नीति-निर्माण, मान्यता, निगरानी, योग्यताओं के अनुमोदन, एनसीआरएफ राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाओं, एमएसडीई / सरकार द्वारा विभिन्न नीतिगत मामलों सेबंधी अपेक्षित सूचना/निविष्टियों आदि जैसे अनेक क्षेत्रों में कई गुना बढ़ गया है। एनसीवीईटी कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या के आधे हिस्से के साथ कई बार सामान्य कार्यालय समय के बाद भी कार्य कर रहा था

कार्यालय में समयबद्ध कार्यों पर विचार करते हुए एनसीवीईटी के अधिकारियों को कई बार असामान्य घंटों, राष्ट्रीय अवकाशों, मुख्यालय से छुट्टी, चिकित्सा आकस्मिकताओं आदि के दौरान भी घर / कार्यालय के बाहर से कार्य करना पड़ता था।

अत: ऊपर उल्लिखित परिस्थितियों में समयबद्ध कार्य को पूरा करने के लिए 5 अधिकारियों/ परामर्शदाताओं को अगस्त, 2022 से नवंबर, 2022 के दौरान यथा अपेक्षित सक्षम प्राधिकारी अर्थात कार्यकारी सदस्य, एनसीवीईटी द्वारा घर से

कार्य करने की अनुमति दी गई थी।

परिषद ने इसका अनुसमर्थन किया। परिषद ने यह भी जानना चाहा कि वर्क फ्राम होम संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश का मसौदा तैयार किया जाये जिसका अनुमोदन प्रचालन के माध्यम से किया जा सकता है या इन्हें परिषद की अगली बैठक, जो भी पहले हो में परिषद के समक्ष रखा जा सकता है।

11.6 युवा पेशेवरों, परामर्शदाता ग्रेड-I, परामर्शदाता ग्रेड-II / वरिष्ठ परामर्शदाताओं आदि को टेलीफोन की प्रतिपूर्ति

परिषद को सूचित किया गया कि एनसीवीईटी एक कौशल विनियामक के रूप में अनेक क्षेत्रों में कार्य कर रहा है और उसे कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए घर से या कार्यालय से बाहर सहित एनसीवीईटी के बाहर विभिन्न हितार्थियों के साथ बार-बार संचार की जरूरत होती है।

अत: यह प्रस्तावित था कि परामर्शदाताओं को 300 रूपये प्रति माह की दर से और वाईपी के लिए 200 रूपये प्रति माह की दर से मोबाइल बिल की प्रतिपूर्ति प्रस्तुत बिल के परिषद द्वारा अनुमोदन के अनुसार की जाये।

परिषद ने प्रस्ताव को अनुमोदित किया।

11.7. युवा पेशेवरों, परामर्शदाता ग्रेड-I, परामर्शदाता ग्रेड-II/ वरिष्ठ परामर्शदाताओं आदि के छुट्टी खाते/क्रेडिट

परिषद को सूचित किया गया है कि एनसीवीईटी परिषद ने 16 मार्च, 2022 को हुई अपनी 5वीं बैठक में नीति आयोग के युवा पेशेवरों, परामर्शदाता ग्रेड-1 / वरिष्ठ परामर्शदाताओं को नियोजित करने के दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं को अपनाया है जिसमें खंड 9 के शीर्ष ''छुट्टी'' में यह उल्लिखित है कि ''व्यक्तिगत परामर्शदाता प्रत्येक पूर्ण माह के लिए 1.5 दिन की दर से छुट्टी के हकदार होंगे जिसमें आनुपातिक आधार पर किसी कैलेंडर वर्ष के बाद छुट्टियां एकत्रित नहीं होंगी''।

इस समय एनसीवीईटी ने वाईपी / परामर्शदाताओं के रूप में आरंभिक नियोजन के समय व्यक्ति के साथ एक वर्ष के सेवा बांड में शामिल होना शुरू किया है। इसके अलावा, पूर्ववर्ती अवधि के पूरा होने के दिन संविदा को एक वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है और इसलिए कैलेंडर वर्ष की इसमें कोई प्रासंगिकता नहीं है।

अत: एक वर्ष की न्यूनतम सेवा बांड अवधि के मद्देनजर और पूर्ववर्ती संविदा की समाप्ति की तारीख से एक वर्ष की संविदा के विस्तार को देखते हुए परिषद से

निम्नलिखित प्रस्ताव किये गये थे:

i. एक वर्ष की संविदा के दौरान कुल 18 दिनों की छुट्टी को किसी व्यक्ति के छुट्टी खाते में 2 समान भागों (प्रत्येक 9 दिन) में क्रेडिट किया जाये। छुट्टी के पहले 9 दिनों को आरंभिक संविदा/ विस्तार की अवधि में क्रेडिट किया जाएगा जबकि दूसरे 9 दिनों को संविदा के 6 महीने पूरे होने पर क्रेडिट किया जाएगा। किसी व्यक्ति की शेष संविदा अवधि के दौरान त्यागपत्र / सेवा समाप्ति के मामले में इसे बकायों से समायोजित / वसूल किया जा सकता है।

ii. तथापि, ऐसे मामलों में जहां 6 महीने अवधि पूरे होने से पहले 9 दिन की छुट्टी कर ली गई है और परामर्शदाता को आकस्मिक स्थितियों में अतिरिक्त छुट्टी अपेक्षित है, वहां उस पर एनसीवीईटी के अध्यक्ष के अनुमोदन सहित मामला वार आधार पर विचार किया जा सकता है। ऐसे मामलों में उत्तरार्ध में संबंधित परामर्शदाता के लिए उपलब्ध छुट्टियां बची हुई शेष छुट्टियां होंगी अर्थात पूर्वार्ध में ली गई छुट्टियों को 18 दिनों से घटाया जाएगा।

iii. खंड 9 में शीर्ष ''छुट्टी'' में यह उल्लेख है कि ''व्यक्तिगत परामर्शदाता प्रत्येक पूर्ण माह के लिए 1.5 दिन की दर से छुट्टी के हकदार होंगे जिसमें आनुपातिक आधार पर किसी कैलेंडर वर्ष के बाद छुट्टियां एकत्रित नहीं होंगी'', में ''कैलेंडर वर्ष'' शब्दों को ''संविदा की तारीख से वर्ष'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए।

परिषद ने इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया

11.8. एनसीवीईटी में प्रशिक्षुओं के नियोजन के नीति में पात्रता मापदंडों को युक्तिसंगत बनाना।

परिषद को सूचित किया गया कि परिषद द्वारा 13.7.2022 को हुई 6वीं बैठक में प्रशिक्षुओं के नियोजन की संशोधित नीति के अनुमोदन के बाद प्रशिक्षुओं को आमंत्रित करने की एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी। तथापि, काफी कम उत्तर प्राप्त हुए। अत: न्यूनतम पात्रता मापदंडों को और व्यापक बनाने की आवश्यकता महसूस की गई थी और तदनुसार, निम्नलिखित का प्रस्ताव किया गया:

i. संस्थानों के पात्रता पूर्व को पहले के 500 के बजाय शीर्ष 1000 एनआईआरएफ रैंक वाले संस्थानों तक बढ़ाया जाये।

ii. न्यूनतम पात्रता मापदंड में ''स्नातक कर रहे/ (अंतिम वर्ष) या स्नातक पूरा कर लिये उम्मीदवारों'' को शामिल किया जाय।

iii. न्यूनतम प्रशिक्षु अवधि स्नातक के अंतिम वर्ष वाले उम्मीदवारों के लिए विशेष

परिस्थितियों में 6 महीनों से कम की जा सकती है।

परिषद ने प्रस्तावित नीति को अनुमोदित किया। परिषद ने यह इच्छा प्रकट की कि उपयुक्त में आगामी कोई परिवर्तन आवश्यकता के अनुसार अध्यक्ष के अनुमोदन से किया जाये जिसे परिषद द्वारा अनुसमर्थित किया जाये

11.9. आउटसोर्स एजेंसी के जरिये दो (02) एमटीएस की संख्या में वृद्धि

परिषद को अवगत कराया गया कि एनसीवीईटी अब अधिकारियों की बढ़ी हुई संख्या के साथ पूर्णत: कार्यशील है । तथापि, इसके पास इस समय सभी कार्यकालापों के लिए केवल 6 एमटीएस हैं। परिषद को यह भी बताया गया कि 3 और एमटीएस (एस) की आवश्यकता है। तथापि, यह प्रस्तावित था कि तत्समय के लिए परिषद आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिये दो और एमटीएस के नियोजन को अनुमोदित कर सकती है।

परिषद ने प्रस्ताव हेतु अनुमोदन प्रदान किया।

11.10 अध्यक्ष, एनसीवीईटी द्वारा सूचना

इस मद पर चर्चा के समय अध्यक्ष ने स्वयं को अलग कर लिया। परिषद को बताया गया कि एनसीवीईटी के अध्यक्ष ने अगस्त, 2022 में पूर्व सूचना दी थी और अब उन्होंने अपनी पत्नी के साथ संयुक्त काम से गुरूग्राम में 18 नवंबर, 2022 को पंजीकृत आवासीय संपत्ति ली है जो पूर्णत: सरकारी की अनुमति से पहले अधिग्रहीत आवासीय संपत्ति की बिक्री और वेतन/ पेंशन खातों से उनकी निजी बचत द्वारा वित्तपोषित है।

परिषद ने इसे नोट किया । यह भी देखा गया था कि चूंकि परिषद एनसीवीईटी का मुख्य निर्णय लेने वाला निकाय है। इसलिए उसे एमएसडीई में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

12.कार्यसूची मद 0712: वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 का अनुमोदन:

12.1. एनसीवीईटी की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 को शीतकालीन सत्र में संसद में प्रस्तुत करने के लिए एमएसडीई को आगे प्रस्तुती हे परिषद के अनुमोदन से प्रस्तुत किया गया था।

परिषद ने एनसीवीईटी की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 को अनुमोदित किया।

13. कार्यसूची सी0713: ओईएम की योग्यताओं का एनएसक्यूएफ सुमेलन समर्थ बनाना और एनसीवीईटी मान्यता प्राप्त आवार्डिंग निकाय और आकलन एजेंसियों के रूप में उनकी मान्यता।

13.1 परिषद को सूचित किया गया कि राष्ट्रीय और वैश्विक परिदृश्य में उद्योग के ओईएम ऐसी डोमेन जन शक्ति के प्रशिक्षण के लिए अनेक पाठ्यक्रमों/ योग्यताओं का प्रस्ताव कर रहे हैं जिन्हें उनके संगठन या मुख्य बाजार में उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान में ऐसे पाठ्यक्रमों को विद्यार्थियों के लाभ के लिए क्रेडिटीकृत नहीं किया जा रहा है। अनेक आवार्डिंग निकायों और उद्योगों ने सफल आकलन के अधीन अनुकूल एनएसक्यूएफ स्तर के प्रमाणन के लिए इन पाठ्यक्रमों/ योग्यताओं के एनएसक्यूएफ सुमेलन के लिए एनसीवीईटी से संपर्क किया है। इसमें इन निकायों के लिए एनसीवीईटी मान्यता प्राप्त आवार्डिंग निकाय होना और एनसीवीईटी मान्यता प्राप्त आकलन एजेंसियों द्वारा उनका संबंधित आकलन किया जाना अपेक्षित होगा।

13.2. उपर्युक्त को संभव बनाने के लिए एनसीवीईटी ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं:

i. एनसीवीईटी ने ओईएम की योग्यताओं के एनएसक्यूएफ सुमेलन के लिए सरल टेम्पलेट और प्रक्रिया तैयार की है। रेडहेड की योग्यताओं को पहले ही 23वीं एनएसक्यूसी में सुमेलित और अनुमोदित किया गया है।

ii. पियर्सन वीयूई जैसे एए जो अधिकांश वैश्विक ओईएम के लिए परिणाम आधारित प्रशिक्षणों का वैश्विक रूप से आकलन कर रहे हैं। ई-प्रौद्योगिकी/ कौशल पारितंत्र में वैश्विक रूप से विश्वसनीय और स्थापित नामों को मान्यता के लिए तैयार किया गया है।

13.3 इसके अलावा, यह प्रस्तावित था कि वैश्विक रूप से विश्वसनीय एमेंसी जैसे माइक्रोसॉफ्ट, रेडहैट, एडब्ल्यूएस, ओरेकल, आईबीएम, एप्पल, गूगल आदि की एबी के रूप में मान्यता को भी सरल टेम्पलेट और प्रक्रिया के जरिये फास्ट्रैक किया जा सकता है।

13.4. परिषद ने इस संबंध में प्रयासों की सराहना की और यह इच्छा प्रकट की कि ओईएम के लिए दिशानिर्देशों/ एसओपी / टेम्पलेटों को एनसीवीईटी द्वारा तुरंत विकसित किया जाये और इसे कार्यान्वित करने की प्रक्रिया को शुरू किया जाये। परिषद का अपेक्षित अनुमोदन, यदि कोई हो, परिचालन/ अनुसमर्थन के जरिये लिया जा सकता है।

अनुबंध I

प्रतिभागियों की सूची

सदस्य का नाम	पदनाम
1. डॉ. निर्मलजीत सिंह कल्सी	अध्यक्ष, एनसीवीईटी
2. डॉ. विनीता अग्रवाल	कार्यकारी सदस्य, एनसीवीईटी
3. डॉ. नीना पाहुजा	कार्यकारी सदस्य, एनसीवीईटी
4. श्री. के.के.द्विवेदी, आईएएस	संयुक्त सचिव एमएसडीई और मनोनीत सदस्य, एनसीवीईटी
5. श्री. कर्मा जिम्पा भूटिया, आईएफओएस	संयुक्त सचिव, एमओआरडी और गैर-कार्यकारी सदस्य, एनसीवीईटी
6. सुश्री साम्या गुप्ता, आईएएस	संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, एमओई और गैर-कार्यकारी सदस्य, एनसीवीईटी
7. कर्नल संतोष कुमार	निदेशक , एनसीवीईटी (उपस्थिति में)
8. लेफ्टिनेंट कर्नल गुंजन चौधरी	निदेशक , एनसीवीईटी और परिषद के सचिव (उपस्थिति में)
9. श्री पूर्णेन्दु कांत	निदेशक, एनसीवीईटी (उपस्थिति में)

अनुबंध II

कार्यसूची का पैरा संख्या: 3.1 का संदर्भ लें

<u>ऐसे आवार्डिंग निकायों की सूची जिन्हें स्थायी मान्यता प्रदान की गई है या एलओआई जारी किया गया या अनंतिम मान्यता प्रदान की गई।*</u>

क्र.सं.	नाम	स्थिति
1	ब्यूटी वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल (बी एंड डब्लूएसएससी)	नियमित मान्यता प्रदान की गई
2	भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र कौशल परिषद (ईएसएसआई)	नियमित मान्यता प्रदान की गई
3	स्किल कौंशिल फार ग्रीन जॉब(एससीजीजे)	नियमित मान्यता प्रदान की गई
4	हस्तशिल्प एवं कालीन क्षेत्र कौशल परिषद	नियमित मान्यता प्रदान की गई
5	ऑटोमोटिव कौशल विकास परिषद (एएसडीसी)	नियमित मान्यता प्रदान की गई
6	खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए सेक्टर कौशल परिषद (एफआईसीएसआई)	नियमित मान्यता प्रदान की गई
7	रबर, रसायन और पेट्रोकेमिकल कौशल विकास परिषद (आरसीपीएसडीसी)	नियमित मान्यता प्रदान की गई
8	खेल, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य और अवकाश कौशल परिषद (एसपीईईएल-एससी)	नियमित मान्यता प्रदान की गई
9	प्रबंधन एवं उद्यमिता और व्यावसायिक कौशल परिषद (एमईपीएससी)	नियमित मान्यता प्रदान की गई
10	परिधान, मेड-अप और होम फर्निशिंग सेक्टर कौशल परिषद	नियमित मान्यता प्रदान की गई
11	पूंजीगत सामान कौशल परिषद (सीजीएससी)	नियमित मान्यता प्रदान की गई
12	मीडिया और मनोरंजन कौशल विकास प्रशिक्षण (एमईएससी)	नियमित मान्यता प्रदान की गई
13	विद्युत क्षेत्र कौशल परिषद	नियमित मान्यता प्रदान की गई
14	कपड़ा क्षेत्र कौशल परिषद (टीएससी)	नियमित मान्यता प्रदान की गई
15	भारतीय कृषि कौशल परिषद (एएससीआई)	नियमित मान्यता प्रदान की गई
16	हाइड्रोकार्बन सेक्टर कौशल परिषद (एचएसएससी)	नियमित मान्यता प्रदान की गई
17	हेल्थकेयर सेक्टर कौशल परिषद	नियमित मान्यता प्रदान की गई
18	पेंट्स और कोटिंग्स कौशल परिषद	नियमित मान्यता प्रदान की गई
19	भारतीय निर्माण कौशल विकास परिषद	नियमित मान्यता प्रदान की गई

20	इंस्ट्रुमेंटेशन ऑटोमेशन सर्विलांस एंड कम्युनिकेशन सेक्टर स्किल काउंसिल (आईएएससी)	नियमित मान्यता प्रदान की गई
21	दूरसंचार क्षेत्र कौशल परिषद	नियमित मान्यता प्रदान की गई
22	पर्यटन एवं आतिथ्य कौशल परिषद (टीएचएससी)	नियमित मान्यता प्रदान की गई
23	जल प्रबंधन एवं नलसाजी कौशल परिषद	नियमित मान्यता प्रदान की गई
24	फर्नीचर एवं फिटिंग कौशल परिषद (एफएफएससी)	नियमित मान्यता प्रदान की गई

25	घरेलू कामगार क्षेत्र कौशल परिषद (डीडब्ल्यूएसएससी)	नियमित मान्यता प्रदान की गई
26	नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (एनएएसएससीओएम)	नियमित मान्यता प्रदान की गई
27	लॉजिस्टिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल (एलएससी)	नियमित मान्यता प्रदान की गई
28	एयरोस्पेस और विमानन क्षेत्र कौशल परिषद	नियमित मान्यता प्रदान की गई
29	जेम एंड ज्वैलरी स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया (जीजेएससीआई)	नियमित मान्यता प्रदान की गई
30	विकलांग व्यक्तियों के लिए कौशल परिषद (एससीपीडब्ल्यूडी)	नियमित मान्यता प्रदान की गई
31	इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट स्किल काउंसिल (आईईएससी)	नियमित मान्यता प्रदान की गई
32	भारतीय लौह एवं इस्पात क्षेत्र कौशल परिषद	नियमित मान्यता प्रदान की गई
33	खनन क्षेत्र के लिए कौशल परिषद (एससीएमएस)	नियमित मान्यता प्रदान की गई
34	बीएफएसआई सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया (बीएफएसआई)	नियमित मान्यता प्रदान की गई
35	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, चेन्नई (सीआईपीईटी)	नियमित मान्यता प्रदान की गई
36	एडिशनल स्किल एक्वीजीशन प्रोग्राम केरल (एएसएपी, केरल)	नियमित मान्यता प्रदान की गई
37	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली (एनआईईएलईटी)	नियमित मान्यता प्रदान की गई
38	कर्नाटक कौशल विकास सहयोग (केएसडीसी)	नियमित मान्यता प्रदान की गई
39	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी)	नियमित मान्यता प्रदान की गई
40	जीवन विज्ञान क्षेत्र कौशल विकास परिषद (एलएसएसडीसी)	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एबी करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
41	चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद (एलएसएससी)	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एबी करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
42	सेंचुरियन प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन विश्वविद्यालय, (सीयूटीएम)	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एबी करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
43	सुरक्षा कौशल विकास फाउंडेशन, गुजरात	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एबी करार का अनुपालन और उस पर

	(एसएसडीएफ)	हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
44	मेधावी कौशल विश्वविद्यालय, सिक्किम (एमएसयू)	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एबी करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
45	श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, हरियाणा (एसवीएसयू)	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एबी करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
46	जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस)	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एबी करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी

47	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस)	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एबी करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
48	उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (यूपीएसडीएम)	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एबी करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
49	राष्ट्रीय आरयूडीएसईटीआई अकादमी, कर्नाटक (आरएसईटीआई)	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एबी करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
50	पश्चिम बंगाल राज्य तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास परिषद	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एबी करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
51	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड। (एचएआरटीआरओएन)	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एबी करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
52	नेट्टूर टेक ट्रेनिंग फाउंडेशन, कर्नाटक (एनटीटीएफ)	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एबी करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
53	एससीटीईवीटी, ओडिशा	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एबी करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
54	राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एबी करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
55	छतीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द टेक यूनिवर्सिटी	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एबी करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
56	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एबी करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
57	ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बीईसीआईएल)	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एबी करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
58	डायरेक्टरेट ऑफ आरमर्ड कॉर्प्स (भारतीय सेना)	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एबी करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी

59	सैन्य पुलिस कोर निदेशालय (भारतीय सेना)	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एबी करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
60	तोपखाना निदेशालय (भारतीय सेना)	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एबी करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
61	सेना चिकित्सा कोर निदेशालय (भारतीय सेना)	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एबी करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
62	रिमाउंट पशु चिकित्सा कोर निदेशालय (भारतीय सेना)	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एबी करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी

63	सेना वायु रक्षा निदेशालय (भारतीय सेना)	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एबी करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
64	भारतीय नौसेना (आईएन)	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एबी करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
65	भारतीय वायु सेना (आईएएफ)	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एबी करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
66	इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग निदेशालय (भारतीय सेना) - ईएमई	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एबी करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
67	सेना उड्डयन निदेशालय (भारतीय सेना)	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एबी करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
68	उन्नत कंपनी विकास केंद्र (सीडीएसी)	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एबी करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
69	इंजीनियर्स कोर निदेशालय (भारतीय सेना)	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एबी करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
70	डायरेक्टरेट ऑफ मैकेनिज्ड इन्फैंट्री (भारतीय सेना)	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एबी करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
71	रिटेलर्स एसोसिएशन की स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया (आरएएससीआई)	उपसमिति की बैठक की गई, आशय का पत्र अनुपालन पूरा करने और मान्यता शुल्क का भुगतान करने पर जारी किया जाएगा
72	आईआईटी गुवाहाटी	उपसमिति की बैठक की गई, आशय का पत्र अनुपालन पूरा करने और मान्यता शुल्क का भुगतान करने पर जारी किया जाएगा
73	अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल उत्कृष्टता केंद्र (आईएसीई)	उपसमिति की बैठक की गई, आशय का पत्र अनुपालन पूरा करने और मान्यता शुल्क का भुगतान करने पर जारी किया जाएगा
74	सेना सेवा कोर निदेशालय	उपसमिति की बैठक की गई, आशय का पत्र अनुपालन पूरा करने और मान्यता शुल्क का भुगतान करने पर जारी किया जाएगा

75	सेना खुफिया कोर निदेशालय	उपसमिति की बैठक की गई, आशय का पत्र अनुपालन पूरा करने और मान्यता शुल्क का भुगतान करने पर जारी किया जाएगा

** संपादकीय / टंकण त्रुटियों यदि कोई हों, के अधीन।*

अनुबंध III

कार्यसूची के पैरा संख्या: 3.1 का संदर्भ लें

<u>ऐसी आकलन एजेंसियों सूची जिन्हें एलओआई जारी किया गया और अनंतिम मान्यता प्रदान की गई।*</u>

क्र.सं.	**मूल्यांकन एजेंसी**	**स्थिति**
1.	एसएचएल इंडिया प्रा. लिमिटेड	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एए करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
2.	टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) आईओएन	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एए करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
3.	मर्कर-मेटल (इंडसलिंक ट्रेनिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड)	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एए करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
4.	आईआरआईएस कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस प्रा. लिमिटेड	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एए करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
5.	स्किल मंत्रा एडुटेक कंसल्टिंग इंडिया प्रा. लिमिटेड	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एए करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
6.	एसपी संस्थान	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एए करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
7.	ट्रेंडसेटर स्किल असेसर्स प्रा. लिमिटेड	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एए करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
8.	नवरीति टेक्नोलॉजीज प्रा. लिमिटेड	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एए करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
9.	रेडियंट इन्फोनेट प्रा. लिमिटेड	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एए करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
10.	ब्रिस्क माइंड प्रा. लिमिटेड	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एए करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी

11.	एडुवांटेज प्रा. लिमिटेड	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एए करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
12.	क्लेवेराटी स्किल्स प्रा. लिमिटेड	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एए करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
13.	टैग असेसर्स गिल्ड प्राइवेट लिमिटेड	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एए करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
14.	डेमोर्गिया कंसल्टिंग सर्विसेज प्रा. लिमिटेड	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एए करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी

15.	एमएसएजी स्किल इंडिया एलएलपी	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एए करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
16.	भारतीय महिला उद्यम संघ	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एए करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
17.	आई एसेस ऑथर प्रा. लिमिटेड (ए2पीएल)	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एए करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
18.	आई असेस कन्सल्टेंट एलएलपी	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एए करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
19.	इंदौर स्किल असेसमेंट सर्विसेज प्रा. लिमिटेड	स्थायी मान्यता एए करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
20.	नॉलेज पार्टनर टेक्नोलॉजीज	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एए करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
21.	रेशनल मल्टी स्किल प्रा. लिमिटेड	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एए करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
22.	प्राइमा कॉम्पीटेंसीज़ प्रा. लिमिटेड	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एए करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
23.	डायवर्सिफाइड बिजनेस सॉल्यूशंस प्रा. लिमिटेड	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एए करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
24.	जिंजर वेब्स प्रा. लिमिटेड	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एए करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
25.	प्रोक्सिमो एजुकेशन सोसायटी	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एए करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
26.	पामरी प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज प्रा. लिमिटेड	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एए करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी

27.	सीईई विजन टेक्नोलॉजीज प्रा. लिमिटेड	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एए करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
28.	वेदोक्त स्किल एंड कंसल्टिंग प्रा. लिमिटेड	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एए करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
29.	आईविंटेज सॉल्यूशंस प्रा. लिमिटेड	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एए करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी

30.	इन्डेपेन्डेंट क्वालिटेटिव असेसर्स ग्लाइड प्रा. लिमिटेड (आईक्यूएजी)	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एए करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
31.	साई ग्राफ़िक्स असेसमेंट बॉडी प्रा. लिमिटेड	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एए करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
32.	इनविजिलेट टेक्नोलॉजीज प्रा. लिमिटेड	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एए करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
33.	मेथड्स अपैरल कंसल्टेंसी इंडिया प्रा. लिमिटेड	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एए करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
34.	पीवीआर स्किल्स सेंटर प्रा. लिमिटेड	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एए करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
35.	हेमसेन एक्ज़िम एलएलपी	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एए करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
36.	मैस्कॉट अपग्रेड स्किल एंड नॉलेज प्रा. लिमिटेड	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एए करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
37.	अमृत स्किल डेवलपमेंट प्रा. लिमिटेड	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एए करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
38.	इंडिया स्किल प्रा. लिमिटेड	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एए करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
39.	इंटीग्रेटेड लर्निंग सॉल्यूशंस प्रा. लिमिटेड (व्हीबॉक्स)	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एए करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
40.	साई स्किल टेक्नोलॉजी प्रा. लिमिटेड	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एए करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
41.	इनटच प्रोफेशनल सर्विसेज प्रा. लिमिटेड	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एए करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी

42.	अजूनी स्किल्स इंडिया प्रा. लिमिटेड	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एए करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
43.	एलिटमस इवैल्यूएशन प्रा. लिमिटेड	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एए करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
44.	शिक्षा भारती	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एए करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
45.	विस्टास्किल्स	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एए करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी

46.	नित्य कौशल विकास संगठन समिति (एनएसडीओएस)	अनंतिम मान्यता प्रदान की गई, स्थायी मान्यता एए करार का अनुपालन और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रदान की जाएगी
47.	पियर्सन वीयूई	उपसमिति की बैठक की गई, आशय का पत्र अनुपालन पूरा करने और मान्यता शुल्क का भुगतान करने पर जारी किया जाएगा
48.	युवा स्किल फाउंडेशन	उपसमिति की बैठक की गई, आशय का पत्र अनुपालन पूरा करने और मान्यता शुल्क का भुगतान करने पर जारी किया जाएगा

**संपादकीय / टंकण त्रुटियों यदि कोई हों, के अधीन।*

अनुबंध IV

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) ,
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई), भारत सरकार द्वारा आकलन
एजेंसी की मान्यता हेतु करार

सूची

1 परिभाषाएं

2. व्याख्या

3. मान्यता प्रदान करना

4. नियत तिथि

5. करार की अवधि

6. करार का दायरा

7. पक्षकारों की जिम्मेदारियां

आकलन एजेंसी की जिम्मेदारियां

एनसीवीईटी की जिम्मेदारियां

8. पक्षकारों के वित्तीय दायित्व

9. मान्यता देने वाले करार का अतिक्रमण और ऐसे अतिक्रमण के लिए कार्रवाई

10. मान्यता देने वाले करार का उल्लंघन और ऐसे उल्लंघन के लिए कार्रवाई

11. आकलन तथा आकलन एजेंसी के संबद्ध अधिकारों का निलंबन

12. करार की समाप्ति

13. गोपनीयता

14. आंकड़ा प्रबंधन, आंकड़ा निजता और आंकड़ा संरक्षण

15. अप्रत्याशित घटना

16. शिकायतों का समाधान

17. विवाद समाधान और मध्यस्थता

18. सूचनाएँ और संचार की प्रक्रियाएँ

19. क्षतिपूर्ति

20. अधित्याग

21. शासी कानून और क्षेत्राधिकार

22. करार का संशोधन

व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी),
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई),
भारत सरकार द्वारा आकलन एजेंसी की मान्यता हेतु कराह

(एनसीवीईटी के राजपत्र अधिसूचना सं. एसडी- 17/113/2017-ई एंड पीडब्ल्यू 25 कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार दिनांक 5 दिसंबर, 2018 के पैरा 20, 23, 24 के अंतर्गत यथाविहित)

एनसीवीईटी मान्यता के लिये यह करार नई दिल्ली में..के दिन की ……………., (**"प्रभावित तारीख"**) को निम्न के द्वारा और उनके बीच किया गया:

व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद ………………………, जिसका पंजीकृत कार्यालय……………………………………………………………………………………भारत में है (जिसे इसके बाद इसे **''एनसीवीईटी"** का गया है), उनके प्रतिनिधि…………………………….., द्वारा, जिन्हें यदि विषय या संदर्भ में इस शब्द या अभिव्यक्ति को बाहर रखा या अनावश्यक नहीं माना जाएगा तो उसका अर्थ तथा उसमें पद के उत्तराधिकारी, प्रशासक या पहले भाग के रूप में अनुमति प्राप्त समानुदेशी;

और

……………………………………………………………………………… के अंतर्गत अधिनियमित एक कंपनी…………………………………………………………………………………………… जिसका पंजीकृत कार्यालय
……………………………………...
.... में है (**"आकलन एजेंसी"**), तथा जिसका प्रतिनिधित्व…………………………………………………………….., द्वारा किया गया है, तथा जिसमें जब तक शब्द अभिव्यक्ति से विषय या संदर्भ में बाहर रखा या अनावश्यक न बताया जाये, वहां उसका अर्थ और उसमें दूसरे पक्ष के कानूनी प्रतिनिधि/ भागीदार, कार्यकारी, उत्तराधिकारी, पद के उत्तराधिकारी, प्रशासक या अनुमति प्राप्त समानुदेशी शामिल होंगे।

एनसीवीईटी और आकलन एजेंसी को एतदपश्चात संयुक्त रूप से ''**पक्षकारों**'' और अलग-अलग रूप में **''पक्षकार**'' कहा गया है।

यत:

व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) को पूर्ववर्ती राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) और राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए) की शक्तियों और जिम्मेदारियां तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्य सम्मिलित करते हुए एक समावेशी विनियामक के रूप

में स्थापित किया गया है। 5 दिसंबर, 2018 को अधिसूचित एनसीवीईटी को व्यावसायिक शिक्षण और प्रशिक्षण (वीईटी) के क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए विनियमन और मानक स्थापित करने के लिए एक सर्वसमावेशी निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। एनसीवीईटी अधिसूचना संख्या अधिसूचना सं.. एसडी-17/113/2017-ई एंड पीडब्ल्यू, के पैराग्राफ 2 जिसमें एनसीवीईटी के विनियामक कार्य रेखांकित हैं, में बताया गया है कि - ''राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद को व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के विकास, गुणात्मक सुधार और विनियमन का कार्य सौंपा जाएगा । ताकि आवार्डिंग निकायों, आकलन एजेंसियों, कौशल सूचना प्रदाताओं और प्रशिक्षण निकायों को मान्यता दी जा सके और उनकी निगरानी की जा सके तथा इस संकल्प में यथा विर्निदिष्ट अन्य अनुषंगी कार्य निष्पादित किये जा सके''। एनसीवीईटी अधिसूचना के क्रम में सभी आवार्डिंग निकाय जो भारत सरकार (जीओआई) की विभिन्न दक्षता विकास स्कीमों से निधियां ले रहे हैं, को एनसीवीईटी से मान्यता लेना अधिदेशित है।

.............................(आकलन एजेंसी का नाम)...........................(एजेंसी का संक्षिप्त विवरण)...
...
...
..

यत:

यह करार एनसीवीईटी तथा आकलन एजेंसी (एए) .... के बीच एक निर्धारित समय-सीमा के लिए एए को एनसीवीईटी मान्यता प्रदान करने हेतु निर्धारित किया गया है। एनसीवीईटी द्वारा एए की मान्यता और विनियमन के लिए दस्तावेजों के दो सेट तैयार किये गये हैं - एए के लिए दिशानिर्देश और एए के लिए प्रचालन नियम पुस्तिका। यद्यपि एए दिशानिर्देश एनसीवीईटी द्वारा मान्यता के मानकों की रूपरेखा और आवार्डिंग निकायों के द्वारा शामिल होने की रूपरेखा बनाते हैं, तथापि, एए की मान्यता के लिए प्रचालन नियम पुस्तिका विस्तृत कार्यान्वयन प्रक्रिया, निगरानी तंत्र और दस्तावेजी साक्ष्य के कोष को रेखांकित करती है जिनकी एए की आरंभिक मान्यता और मान्यता को जारी रखने (एनसीवीईटी द्वारा विहित मानकों के अनुपालन के अधीन) के लिए आवश्यकता होगी। यह करार **एनसीवीईटी मान्यता प्रदान करने का एक साधन है और आकलन एजेंसी की मान्यता और विनियमन के दिशानिर्देश 2020 तथा एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्रदान की जाने वाली आकलन एजेंसियों संबंधी आकलन एजेंसी मान्यता और विनियम के लिए प्रचालन नियम पुस्तिका 2020 का अनुपालन परिवर्तित करने का एक साधन है।** एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त एए के लिए यथा लागू सभी एनएसक्यूएफ सुमेलित और अनुमोदित योग्यताओं के लिए और भारत सरकार द्वारा या किसी शुल्क आधारित कार्यक्रम द्वारा वित्तपोषित किसी स्कीम/ कार्यक्रम को चलाने के लिए आकलन करने हेतु पात्र होगा। एनसीवीईटी के साथ मान्यता की अवधि एनसीवीईटी तथा मान्यता दी जाने वाली आकलन एजेंसी के बीच इस करार के हस्ताक्षर के तारीख से आरंभ होगी।

अत: पक्षकारों द्वारा और उनके बीच निम्नानुसार सहमति बनी है:

1. **परिभाषाएं**

1.1 **करार** से यहां दिये गये प्रावधानों और एए दिशानिर्देशों तथा प्रचालन नियम पुस्तिका के संबंधित प्रावधानों में समय-समय यथा संशोधित, संपूरित या आशोधित रूप में इसके अनुबंध (धों) के साथ यह सेवा करार अभिप्रेत है।

1.2 **आवार्डिंग निकाय** से ऐसा कोई संस्थान अभिप्रेत है जो गुणवत्ता प्रशिक्षण और विश्वसनीय आकलन सुनिश्चित करके योग्यताओं को अपनाने संबंधी नीति के अनुसार उसके द्वारा विकसित या स्वीकृति एनएसक्यूएफ सुमेलित और अनुमोदित किसी योग्यता के लिए प्रशिक्षुओं को प्रमाणन प्रदान करता है या प्रदान करने का प्रस्ताव करता है।

1.3 **आकलन एजेंसी दिशानिर्देश** एनसीवीईटी द्वारा जारी और एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त एए की मान्यता और विनियमन के लिए समय-समय पर अद्यतन किये गये आकलन एजेंसियों की मान्यता और विनियमन के लिए दिशानिर्देश हैं।

1.4 **आकलन एजेंसी प्रचालन नियम पुस्तिका (ओएम के रूप में संदर्भित)** एक प्रक्रिया नियम पुस्तिका है अर्थात जिसे एनसीवीईटी द्वारा जारी प्रचालन नियम पुस्तिका, आकलन एजेंसियों की मान्यता और विनियमन के लिए दिशानिर्देश हैं और जिन्हें एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त एए को मान्यता और विनियमन के लिए समय-समय पर यथा अद्यतन किया जाता है।

1.5 **परिषद** से कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एसडी -17/113/2017-ईएंडपीडब्ल्यू के माध्यम से अधिसूचित राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद अभिप्रेत है।

1.6 **राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति (एनएसक्यूसी)** एनसीवीईटी के अंतर्गत गठित समिति है (जिसे एनएसक्यूएफ राजपत्र अधिसूचना सं. 8/6/2013-आईएनवीटी दिनांक 27 दिसंबर, 2013 के अंतर्गत अधिसूचित भी किया गया है) जो एनसीवीईटी द्वारा निर्धारित एनएसक्यूएफ सुमेलन और अन्य योग्यता मापदंडों के लिए योग्यताओं को अनुमोदित करता है।

1.7 **राष्ट्रीय योग्यता रजिस्टर (एनक्यूआर)** एनसीवीईटी के अंतर्गत अनुमोदित योग्यताओं, मार्गदर्शनों और अंतरनिहित योग्यताओं की एनसीवीईटी का ऑनलाइन कोष।

1.8 **राष्ट्रीय कौशल योग्यता कार्यढांचा (एनएसक्यूएफ)** एक दक्षता आधारित कौशल कार्यढांचा है जो समय-समय यथा अद्यतन एनसीवीईटी द्वारा अधिसूचित ज्ञान, कौशल और अभियोग्यता के स्तरों की श्रृंखला के अनुसार योग्यताएं सुव्यवस्थित करता है। एनएसक्यूएफ, एनसीवीईटी में निहित है। एनसीवीईटी के पास योग्यताओं के एनएसक्यूएफ सुमेलन के लिए विहित मानक, प्रक्रियाएं और टेम्पलेट हैं जिनका अपने कार्य निष्पादित करने के लिए एनसीवीईटी मान्यता प्राप्त सभी आवार्डिंग निकायों और आकलन एजेंसियों द्वारा पालन किया जाएगा।

1.9 एनसीवीईटी द्वारा किसी एए के रूप में किसी संस्थान की मान्यता का अर्थ है कि वह संस्थान

एनएसक्यूसी सुमेलित और अनुमोदित योग्यता के अंतर्गत प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण पूरा होने के बाद प्रशिक्षुओं का आकलन करने के लिए प्राधिकृत है।

1.10 **प्रशिक्षण निकाय** ऐसे संस्थान हैं जो एनसीवीईटी के दिशानिर्देशों और संबंधित एबी के हस्ताक्षरित करार के अनुपालन में मान्यता प्राप्त आवार्डिंग निकाय द्वारा संबद्ध किये जाएंगे और उसके पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे।

2. व्याख्या

2.1 इस करार में यदि संदर्भ में अन्यथा विनिर्दिष्ट या प्रतिकूल न हो तो :

2.1.1 **आकलन एजेंसी, प्रचालन नियम पुस्तिका या** किसी विधान या उसके किसी प्रावधान के उल्लेख में आकलन एजेंसियों की मान्यता और विनियमन हेतु दिशानिर्देश 2020 और आकलन एजेंसियों की मान्यता और विनियमन के लिए प्रचालन नियम पुस्तिका 2020 और ऐसे दिशानिर्देशों में कोई आशोधन या संशोधन या पुन: अधिनियमन या समेकन शामिल होगा। ऐसे आशोधन या संशोधन या पुन: अधिनियमन या समेकन की सीमा तक नियम पुस्तिकाओं, विधानों या उसका कोई प्रावधान इसके अंतर्गत किये गये किसी सौदे पर लागू होता है या लागू होने में सक्षम है।

2.1.2 भारत के कानून या कानून की शक्ति वाले विनियमन के उल्लेख में ऐसे कानून, अधिनियम, अध्यादेश, नियम, विनियम, उपकानून या अधिसूचनायें शामिल होंगी। जिनके पास भारत के क्षेत्र में कानून की शक्ति है और जिन्हें समय-समय पर संशोधित, आशोधित, संपूरित, विस्तारित या पुन: अधिनियमित किया जा सकता है।

3. मान्यता प्रदान करना

3.1 इस करार, लागू कानूनों और अनुमतियों के प्रावधानों के अधीन और उनके अनुसार एनसीवीईटी एतदद्वारा आकलन एजेंसी को किसी आकलन एजेंसी के कार्य, जिम्मेदारियां और दायित्व के निर्वहन के लिए मान्यता प्रदान करता है ताकि वह इस करार के अनुसार और लागू कानून, नियम और विनियम के अधीन इस करार की अवधि के दौरान नियत तारीख से खंड 3.2 में दिये गये क्षेत्राधिकार में प्रचालन करें।

3.2 मान्यता **अनुबंध ख1** में उल्लिखित क्षेत्रों और क्षेत्रवार योग्यताओं के संबंध में प्रदान की गई है। आकलन एजेंसी को परिषद द्वारा जिस क्षेत्राधिकार में प्रचालन के लिए मान्यता दी गई है वह **अनुबंध ख2** में इस करार के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर परिषद द्वारा किये जाने वाले आगामी परिवर्तनों के अधीन है, एए की उन्नत क्षमता को विश्वसनीय साक्ष्य के साथ दर्शाने वाली आकलन एजेंसी के निष्पादन और एए दिशानिर्देशों और प्रचालन नियम पुस्तिका या किसी विधान या उसके किसी प्रावधान के अनुसार निष्पादन के अधीन है।

4. नियत तारीख

4.1 यह मान्यता परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाने वाली तारीख से प्रभावी होगी; और

4.2 यह मान्यता प्रदान करने के करार में और इस करार के भाग के रूप में सभी दिशानिर्देशों और प्रचालन नियम पुस्तिका में सभी शर्तों के साथ निरंतर आधार पर सभी समय मान्यता प्राप्त निकाय के अनुपालन के अधीन होगी।

(कतिपय मामलों में नियत तारीख और करार पर हस्ताक्षर की तारीख कतिपय पूर्व शर्तों के अनुपालन के कारण अलग-अलग हो सकती है)

5. करार की अवधि

5.1 एए की मान्यता का करार यदि इसे तर्कसंगत आदेश के जरिये पहले समाप्त न किया जाए या इस करार की शर्तों के अनुसार और निरंतरता मापदंडों के आधार पर तथा आकलन एजेंसी के दिशानिर्देशों की धारा 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 और 7.6 में यथा विनिर्दिष्ट जोखिम रेटिंग के प्रावधानों के अनुसार संतोषजनक निष्पादन के अधीन बढ़ाया न जाए तो करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख से **3 लगातार वर्षों** (**''एनसीवीईटी मान्यता अवधि''** के रूप में भी संदर्भित) की अवधि के लिए वैध है।

5.2 यह मान्यता तब तक जारी रहेगी जब तक इस करार में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन आकलन एजेंसी को निलंबित या अमान्यता प्राप्त न कर दिया जाए। .

5.3 आकलन एजेंसी को एनसीवीईटी मान्यता और एनसीवीईटी योग्यताओं के लिए आकलन करने का बाद का कार्य इस करार के खंड 5.1 में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के पूरा होने के दिन के अंत में समाप्त हो जाएगा। एए को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रशिक्षुओं / शिक्षुओं के लिए आकलन की जिम्मेदारी इस प्रकार से ली जाए कि इस करार के खंड 5.1 में विनिर्दिष्ट अवधि के पूरा होने के अंतिम दिन से पहले आकलन पूरा हो जाए।

5.4 आकलन एजेंसी की मान्यता और विनियम के लिए प्रचालन नियम पुस्तिका की धारा 3.2 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार एए, एनसीवीईटी मान्यता अवधि के पूरा होने से 6 महीने पहले नवीकरण हेतु आवेदन कर सकता है, यदि अनुमोदित हो जाए तो मान्यता अनुमोदन के मूल तारीख से दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ जाएगी। ऐसा नवीकरण जोखिम रेटिंग कार्यढांचे के अनुसार एए के निष्पादन पर आधारित होगा और जारी रहने के मापदंड का पालन एए की प्रचालन नियम पुस्तिका (ओएम) और एनसीवीईटी द्वारा जारी उनके संशोधनों के पालन पर आधारित होगा। करार का आवेदन की जांच प्रक्रिया के पश्चात पालन किया जाएगा। **5 वर्ष** की कुल अवधि के पूरा होने के बाद एए को विहित प्रपत्र में एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यदि वह आकलन एजेंसियों की मान्यता और विनियमन के लिए प्रचालन नियम पुस्तिका के प्रावधानों के अनुसार एए के रूप में अपनी मान्यता जारी रखना चाहता है।

5.5 करार के समय को एनसीवीईटी मान्यता अवधि के बाद बढ़ाने वाला एए एनसीवीईटी द्वारा जारी एए प्रचालन नियम पुस्तिका की धारा 7.2 के अंतर्गत यथाविहित एए की **जोखिम रेटिंग पर निर्भर होगा।**

5.6 आकलन एजेंसी को आकलन एजेंसियों के मान्यता और विनियमन के दिशानिर्देशों 2020 और समय-समय यथा संशोधित आकलन एजेंसियों की मान्यता और विनियमन की प्रचालन नियम पुस्तिका तथा इस संबंध में एनसीवीईटी द्वारा जारी अन्य किसी अनुदेश में यथा विनिर्दिष्ट आकलन कैलेंडर और समय-सीमाओं को तैयार करना, उनका रखरखाव और उनका पालन करना चाहिए।

5.7 आकलन एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी की कि वह उस आवार्डिंग निकाय को सूचित करती है जिससे वह संबद्ध है। ऐसा एनसीवीईटी मान्यता अवधि के पूरा होने से 6 महीने पहले किया जाएगा ताकि ऐसे प्रशिक्षुओं के हितों का संरक्षण हो सके जो संबंधित एए की मान्यता अवधि के पूरा होने तक प्रशिक्षण और प्रमाणन कर रहे हों।

5.8 **एए को एनसीवीईटी मान्यता और अनुमोदित योग्यता के लिए आकलन करने का बाद का कार्य इस करार के खंड 5.1 और 5.4 में यथा विनिर्दिष्ट समयावधि के पूरे होने के दिन या आकलन एजेंसी के निलंबन की तारीख से समाप्त हो जाएगा या इस करार के खंड 11 और 12 में यथा विनिर्दिष्ट करार समाप्त हो जाता है।**

---

6. करार का दायरा

6.1 **यह करार आकलन एजेंसी को मान्यता प्रदान करता है** जिससे वह इस करार में संलग्न **अनुबंध क** में इन आवार्डिंग निकायों की एनएसक्यूसी अनुमोदित योग्यताओं का आकलन करने के लिए एनसीवीईटी मान्यता प्राप्त आवार्डिंग निकायों के साथ कार्य करने के लिए पात्र हो जाएंगे और उन्हें योग्यताएं एनसीवीईटी मान्यता प्राप्त आवार्डिंग निकाय द्वारा आवंटित की जाती हैं।

6.2 विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान मान्यता उन क्षेत्र/क्षेत्रों**,** योग्यताओं और प्रादेशिक क्षेत्राधिकार / प्रचालनात्मक सीमाओं के संबंध में वैधता प्रदान करती है जिनके लिए **आकलन एजेंसी** को एनसीवीईटी द्वारा मान्यता दी गई है और जिसे इस करार के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

6.3 भौगोलिक मान्यता में एक विशिष्ट अवधि के लिए विभिन्न भारतीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में आकलन करने के लिए एनसीवीईटी का अनुमोदन शामिल होता है। मान्यता में **अनुबंध ख1 और अनुबंध ख2** के अनुसार राज्य वार एए को प्रदत्त भौगोलिक मान्यता विनिर्दिष्ट की जाएगी।

6.4. मान्यता प्राप्त करने पर एए अतिरिक्त क्षेत्रों, योग्यताओं और भौगोलिक स्थानों में मान्यता के लिए आकलन एजेंसियों की मान्यता और विनियमन के लिए प्रचालन नियम पुस्तिका की धारा 3.6 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार आकलन एजेंसियों के लिए दिशानिर्देशों के पात्रता मापदंडों में यथा रेखांकित अनुभव और अपनी दक्षता के साक्ष्य प्रस्तुत करके आवेदन कर सकता है। मान्यता मिलने पर एए अतिरिक्त क्षेत्रों, योग्यताओं और भूगोलों के लिए इस करार के **अनुबंध ग** में यथा रेखांकित शर्तों को पूरा करने के अधीन मान्यता की मांग कर सकता है। यह बात आकलन एजेंसियों के लिए एनसीवीईटी दिशानिर्देशों पात्रता मापदंडों में रेखांकित शर्तों तथा समय-समय पर उनमें किये गये संशोधनों के अतिरिक्त है।

6.5 एनसीवीईटी मान्यता के लिए **क्षेत्राधिकार**, **प्रचालन**, **प्रादेशिक सीमायें**, अधिनियमन/ स्थापना/ सृजन की उसकी कानूनी स्थिति के अनुसार परिभाषित की जाएगी और ऐसी सीमाओं के आगे वैध नहीं होगी। एनसीवीईटी क्षमता की प्रदर्शित संख्या के आधार पर आकलन एजेंसी के प्रचालनों की प्रादेशिक सीमाओं को चिन्हित करेगा।

6.6 इस करार के प्रयोजनार्थ प्रचालन एजेंसियों की मान्यता और विनियमन के लिए **समय-समय पर जारी अद्‌यतन नवीनतम दिशानिर्देश**, **प्रचालन नियम पुस्तिका और परिशिष्ट** लागू होंगे।

7. पक्षकारों की जिम्मेदारियां

7.1 आकलन एजेंसी की जिम्मेदारियां: मान्यता की समूची अवधि के दौरान एए प्रचालन एजेंसियों की मान्यता और विनियमन के दिशानिर्देश 2020 और आकलन एजेंसियों की मान्यता और विनियमन के लिए प्रचालन नियम पुस्तिका 2020 और **समय-समय पर जारी परिशिष्टों** का पूर्ण रूप से अनुपालन करने के लिए अधिदेशित है और उसे दिशानिर्देशों और नियम पुस्तिका के प्रावधानों के साथ निम्नलिखित जिम्मेदारियों का पालन भी सुनिश्चित करना होगा:

7.1.1 आकलन एजेंसी दिशानिर्देशों की धारा 7.3 के अंतर्गत निर्धारित "**निरंतरता मापदंडों**" का पूर्ण रूप से पालन करना।

7.1.2 एनएसक्यूएफ सुमेलित योग्यताओं, एनओएस / सूक्ष्म प्रमाण पत्र आधारित योग्यताओं और प्रत्येक क्षेत्र के संबंध में आकलनकर्ताओं के प्रशिक्षण (टीओए) के लिए सहित बहुकौशल और क्षेत्र पारीय कौशल योग्यताओं के आकलन तथा ऐसी योग्यताओं जिनके लिए मान्यता प्रदान की गई है, के आकलन के संबंध में मान्यता की शर्तों का सही समय पर अनुपालन करना।

7.1.3 यह सुनिश्चित करना कि एए के पास **एक मजबूत व्यवसाय योजना** है जिसमें बाजार अनुसंधान, वित्तीय अनुमान, समय सीमायें आदि शामिल हैं।

7.1.4 आवेदन के समय प्रस्तुत व्यवसाय योजना और तत्पश्चात संशोधित तथा अनुमोदित योजना जिसमें स्वीकृत लेखांकन सिद्धातों तथा व्यवस्थित बुक कीपिंग के अनुपालन के लिए उद्योग का शुल्क आधारित आकलन और एक पारदर्शी रिकार्ड कीपिंग रखी जाती है, के पालन के जरिये मजबूत **वित्तीय स्वास्थ्य की स्थिति प्रदर्शित करके** एए प्रचालनों की निरंतरता का अनुपालन करना।

7.1.5 यह सुनिश्चित करना कि उसकी **प्रबंधन संरचना** इस समय अधिकांशत: स्थिर है और नियंत्रण / स्वामित्व में किसी परिवर्तन की एनसीवीईटी को समय पर सूचना दी जाती है तथा **प्राधिकार का क्रम** स्पष्ट रूप से सुपरिभाषित पारदर्शी संगठन संरचना के जरिये स्पष्ट रूप से चिन्हित है।

7.1.6 एए को राज्यों और प्रचालनों के सभी क्षेत्रों में सही समय पर **मुख्य आकलन कर्मचारियों की उपलब्धता** (पूर्णकालीक/अंशकालीक) सुनिश्चित करनी चाहिए जो योग्य हों और उन्हें सौंपे गये कार्य को करने में सक्षम हों। एए आवेदन के दौरान यथा विकसित और प्रस्तुत चयन और भर्ती नीतियों का अनुपालन करेगा। इसमें किसी परिवर्तन को एनसीवीईटी को अधिसूचित किया जाना चाहिए। एए एनसीवीईटी की सिफारिशों के अनुसार अपने पूरे कर्मचारियों के लिए निष्पादन समीक्षा मापदंडों का पालन करेगा।

7.1.7 एए को प्रदान करने की प्रक्रिया का निर्बाध आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक क्षेत्र के भीतर विभिन्न उपक्षेत्रों हेतु अलग एसएमई सहित प्रत्येक क्षेत्र के लिए **विषयवस्तु के विशेषज्ञ (एसएमई)** की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।

7.1.8 एए को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे आकलन की जानी वाली योग्यताओं में यथा विनिर्दिष्ट /

वर्णित अपेक्षाओं के अनुसार योग्यता और अनुभव वाले **आकलनकर्ताओं** को नियोजित करें और समय-समय पर एनसीवीईटी द्वारा निर्धारित आकलनकर्ता के मूल दिशानिर्देशों को भी पूरा करें। इसके अलावा, एए को यह सुनिश्चित करना चाहिए:

क. केवल प्रमाणित आकलनकर्ता आकलन करने में सक्षम होंगे। आकलनकर्ता को प्रमाणित करवाने की जिम्मेदारी एए की होगी।

ख. एए को आकलनकर्ता को संभारतंत्र सहायता देनी चाहिए और एनसीवीईटी दिशानिर्देशों के अनुसार समयबद्ध ढंग से भुगतान करना चाहिए।

ग. एक प्रक्रिया मामले के अनुसार आकलनकर्ता को उस अनुदेशक से अलग होना चाहिए जिसने बैच को पढ़ाया/ प्रशिक्षित किया है। तथापि, आपवादिक मामलों में कारण रिकार्ड करके जहां पर दुर्लभ प्रकार का हो, उस दुर्लभ योग्यता में कोई आकलनकर्ता उपलब्ध न हो तो ऐसे अनुदेशक को पर्याप्त जांच और संतुलन के साथ यह जिम्मेदारी भी दी जा सकती है जो एनएसक्यूएफ सुमेलित और अनुमोदित योग्यता में ही आकलन पद्धतियों में उपलब्ध ऐसे प्रावधान के अधीन है।

लुप्त प्राय कौशल योग्यता/दुर्लभपारंपरिक/ विरासत कौशल में प्रशिक्षण/ शिक्षण से पहले योग्यता (आरपीएल) के लिए उस अनुदेशक जिसे उस विशेष कौशल (लों) के लिए केंद्र/ राज्य सरकार (रों) द्वारा विधिवत रूप से पुरस्कृत या मान्यता दी गई है, को शामिल आपवादिक/ दुर्लभ कौशल स्तरों के मद्देनजर प्रशिक्षण और आकलन की दोहरी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।

घ. एए यह सुनिश्चित करेगा कि आकलनकर्ता एक साथ 4 से अधिक एए के साथ संबद्ध/ कार्य न कर रहा हो। एए आकलनकर्ता से यह वचनबद्धता लेगा कि आकलनकर्ता एक साथ चार से अधिक एए के लिए कार्य नहीं कर रहा है। यदि किसी इसी पर एए, एबी या एनसीवीईटी के ध्यान में यह बात आती है कि आकलनकर्ता ऐसी वचनबद्धता की तारीख के बाद चार से अधिक एए में कार्य कर रहा है या करता रहा है तो इसे वास्तविक उल्लंघन माना जाएगा और आकलनकर्ता को आगे आकलनों को करने से ब्लैक लिस्ट और प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। यदि किसी तीसरे पक्ष की सूचना या निगरानी के दौरान यह बात एनसीवीईटी के ध्यान में आती है कि पूर्वोक्त नियम का जानबूझकर या अनजाने में उल्लंघन किया गया है तो एए पर भी एनसीवीईटी उल्लंघन के लिए कार्रवाई की जाएगी।

एक बार एनसीवीईटी द्वारा अपनी प्रणाली और क्षमता विकसित होने पर प्रणाली स्तर पर जांच निर्मित की जाएगी जिसमें एक आकलनकर्ता आईडी सृजित होगी और उसे आकलन एजेंसी की आईडी से जोड़ा जाएगा और उचित ट्रैकिंग या निगरानी सक्षम बनाने के लिए केवल इस स्तर पर प्रतिबंध निर्मित किये जाएंगे।

ङ. आकलन की आवश्यक प्रक्रिया में निम्नलिखित को बनाये रखा जाना

चाहिए।

i. एए उपलब्धता की पुष्टि करेगा और एबी को योग्य आकलनकर्ता के प्रतिनियुक्ति करेगा (नाम/पता और फोन नं. बताना आवश्यक नहीं है)।

ii. प्रतिनियुक्त आकलनकर्ता 24 घंटे (यात्रा समय) के भीतर आकलन के स्थान पर पहुंचने में सक्षम होना चाहिए।

iii. आकलनकर्ता आकलन साधनों और उपकरणों की प्रशिक्षण केंद्र में उपलब्धता का सत्यापन करेगा, अनुसूचित भाषा में जहां जरूरी हो, आकलन करेगा आदि। यह बात एबी और एए के बीच हस्ताक्षर होने वाले सेवा स्तरीय करार (एसएलए) का हिस्सा होगी जिसका पालन अवश्य किया जाना चाहिए।

7.1.9 एए को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे संबंधित एबी द्वारा विनिर्दिष्ट की जानी वाली योग्यता की आवश्यकता के अनुसार जहां आवश्यकत हो, पर्याप्त संख्या में प्राप्टर नियोजित करें। एए द्वारा नियोजित प्राप्टरों को समय-समय पर यथा संशोधित एए और टीओए दिशानिर्देशों में निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा।

7.1.10 एए किये जाने वाले ऑनलाइन तथा मिश्रित आकलनों के लिए प्राप्टरों को शामिल करेगा:

क. वास्तविक आकलन केंद्र में आमने-सामने।

ख. उम्मीदवार के स्थान / स्टेशन में वर्चुअल आकलन के लिए आनलाइन प्राप्टर्ड।

ग. उम्मीदवार के स्थान /स्टेशन पर रिमोट ऑटो प्राप्टर्ड

7.1.11 पूर्ण रूप से आनलाइन आकलन प्रक्रिया के मामले में एनसीवीईटी के मिश्रित शिक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार प्रौद्योगिकी मंच किसी प्रकार की धोखाधड़ी का पता लगाने और उससे बचने के लिए पर्याप्त सक्षम होना चाहिए।

7.1.12 एए यह सुनिश्चित करेगा कि आकलनकर्ता और प्राप्टर्ड प्रशिक्षित और प्रमाणित हों तथा उन्हें नई योग्यताओं के लिए कोई आवश्यकता आधारित सेतु प्रशिक्षण दिया गया हो। एए एनसीवीईटी, उनके द्वारा प्रशिक्षित आकलनकर्ताओं और प्राप्टरों की संख्या संबंधी आंकड़े देगा। समस्त अन्य कर्मचारियों के लिए आकलनकर्ताओं और प्राप्टरों सहित उनके कार्यात्मक निष्पादन को बढ़ाने के लिए निरंतर पेशेवर विकास (सीपीडी) पाठ्यक्रम अवश्य होने चाहिए।

7.1.13 संबद्ध एए और एबी का यह संयुक्त उत्तरदायित्व होगा कि वह 6 महीने की मान्यता के भीतर टीओए संबंधी एक एनएसक्यूएफ सुमेलित योग्यता विकसित करें और उसे एनसीवीईटी के टीओए दिशानिर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद द्वारा अनुमोदित करवायें। मौजूदा आकलनकर्ताओं के लिए भी एक कौशल विकास मॉड्यूल तैयार किया जाएगा और उसे राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) द्वारा अनुमोदित कराया जाएगा और संबंधित एए और एबी की मान्यता की एक वर्ष के भीतर कौशल विकास पूरा किया जाएगा।

7.1.14 एनसीवीईटी एए से जुड़े आकलनकर्ताओं, प्राप्टरों और एसएमई से संबंधित योग्यता, उनके कार्य

अनुभव आदि जैसी कोई सूचना मांग सकती है और एए एनसीवीईटी को ऐसी सूचना प्रदान करेगा। तथापि, एनसीवीईटी आंकड़ा निजता और अन्य संबंधित कानूनों के अनुसार ऐसी सूचना की गोपनीयता सुनिश्चित करेगा।

7.1.15 एए यह सुनिश्चित करेगा कि उनके पास ऐसे साधनों और सहायकों का एक तैयार कोष होगा जिसे योग्यताओं की आवश्यकताओं से जोड़ा जाएगा। योग्यता के आकलन हेतु विकसित साधनों को प्रशिक्षार्थियों की कौशल, ज्ञान और दक्षता की रूपरेखा बनाने में सक्षम होना चाहिए और वे प्रशिक्षार्थी की आवश्यकता के अनुरूप पहुंच योग्य और अनुकूल होने चाहिए। एए यह भी सुनिश्चित करेगा कि आकलन के साधन दिव्यांग प्रशिक्षार्थियों के आकलन के लिए भी पर्याप्त सहायक हों।

7.1.16 एए यह सुनिश्चित करेगा कि विभिन्न योग्यताओं के लिए आकलन करने हेतु प्रयुक्त होने वाले आकलन साधनों को आकलन करने से पहले संबंधित एबी से अनुमोदित हों।

7.1.17 एए यह सुनिश्चित करेगा कि सभी **आकलनकर्ता और प्राप्टर** आकलन साधनों और आकलन गाइडों को सही ढंग से प्रयोग करने के लिए **प्रशिक्षित हों**।

7.1.18 एए इस प्रकार से प्रत्येक पीसी संबंधी अनेक प्रश्न तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगा कि किसी योग्यता के भीतर प्रत्येक एनओएस के प्रत्येक निष्पादन मापदंड (पीसी) / पीसी के समूह के लिए प्रश्नों की न्यूनतम औसत संख्या 5 से 6 बनती हो। प्रश्न बैंक (बैंकों) में इन प्रश्नों को यह सुनिश्चित करने लिए संबंधित एबी के परामर्श से तैयार किया जाएगा कि ये लक्षित परिणामों का आकलन करते हों। प्रश्न बैंकों की आवधिक समीक्षा की प्रक्रिया एए द्वारा परिभाषित होनी चाहिए और समीक्षा का प्रत्येक चक्र संबंधित एबी के परामर्श से किया जाना चाहिए। प्रश्न बैंक स्थानीय भाषाओं और बोलियों में भी आवश्यकतानुसार उपलब्ध होने चाहिए। नमूना प्रश्न संबंधित एबी और एए की वेबसाइट पर तुरंत उपलब्ध होने चाहिए। प्रश्न बैंकों में सरल, मध्यम और कठिन प्रश्नों का एक आनुपातिक मिश्रण होना चाहिए जैसा एबी द्वारा मार्गदर्शित हो और उन्हें समय-समय पर (जैसे प्रत्येक 2-3 चक्र के बाद) परिवर्तित/ अद्यतन किया जाना चाहिए। एए का आकलन मंच सभी प्रकार के बहुविकल्पीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों को संभालने में सक्षम होना चाहिए। आकलन तंत्र की वांछनीय विशेषताओं का एक विस्तृत सेट एनसीवीईटी द्वारा अधिसूचित मिश्रित अधिगम दिशानिर्देशों के अनुबंध ख में दिया गया है।

7.1.19 एए **समुचित प्रौद्योगिकी का उचित प्रयोग** सुनिश्चित करेगा अर्थात डोमेन विशिष्ट आकलन करने के लिए टेस्ट इंजन, कंप्यूटर टैबलेट, मोबाइल अपलीकेशन, वीडियो संचार साधन आदि जो कृत्रिम मेधा (एआई)/ मशीन लर्निंग पर आधारित हो और एए द्वारा आकलन करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रियाओं को संबंधित एबी और/ या एनसीवीईटी द्वारा अनुमोदित होगी। आकलन करने के लिए प्रयुक्त आईसीटी/प्रौद्योगिकी साधन को एबी द्वारा उनकी योग्यता में यथा परिभाषित दक्षताओं के लिए सुमेलित करना चाहिए। आईसीटी/प्रौद्योगिकी साधन, आकलनकर्ता के सत्यापन (आकलन के समय के दौरान), ऑनलाइन मोड में आकलन करने के लिए और परिणाम रिकार्ड करने के लिए प्रयोग किये जाएंगे। दिव्यांग अनुकूल आकलनों के लिए भी प्रौद्योगिकी के साधन उपलब्ध होने चाहिए।

7.1.20 एए को प्रत्येक योग्यता के लिए योग्यताओं में निर्धारित निष्पादन मापदंडों (पीसी के लिए) एबी

द्वारा विहित आकलन मानकों का पालन करना होगा। आकलन गाइड को एबी द्वारा एए के साथ शेयर किया जाएगा।

7.1.21 एए को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आकलन, चाहे ऑनलाइन हो या आफलाइन वास्तविक पद्धति से, को इस प्रकार तैयार किया जाए कि वह संबंधित योग्यता में रेखांकित "आकलन मापदंडों" के अनुसार दक्षताओं का आकलन करता हो।

7.1.22 एए को अलग एनओएस तथा एनओएस के भीतर पीसी के आधार पर आकलन करने और एनओएस तथा पीसी वार आकलन का परिणाम देने में सक्षम होना चाहिए।

7.1.23 आकलन की प्रक्रिया एनसीवीईटी दिशानिर्देशों द्वारा यथा निर्धारित आकलन की निर्धारित समय-सीमा के भीतर होनी चाहिए।

7.1.24 एए आकलन एजेंसी दिशानिर्देशों की धारा 7.3 (बिंदु 6) के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट आकलन से पहले उसके दौरान और उसके बाद समस्त आकलन प्रक्रियाओं की योजना और निर्बाध डिलीवरी के लिए जिम्मेदार होगा।

7.1.25 एए को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित रक्षोपाय रखने होंगे कि केवल वही लोग जिन्हें परिणाम देखने के लिए प्राधिकृत किया गया है उसे देख पायें। एए संबंधित एबी के निर्णय के अनुसार यथा लागू पुनर्मूल्यांकन/ पुन: आकलन की प्रिक्रया करेगा।

7.1.26 एए को (दोहरी मान्यता वाले निकायों के मामले में एबी की उर्ध्वाधर स्वतंत्र जांच), प्रचालन नियम पुस्तिका में दी गई समय-सीमा के अनुसार संबंधित एबी को परिणाम प्रस्तुत करना चाहिए।

7.1.27 एए को यह सुनिश्चित करना होगा कि आकलन एजेंसी दिशानिर्देशों के पात्रता मापदंडों की धारा 5 (बिंदु 10) में यथा परिभाषित शिकायत निवारण तंत्र मौजूद हो।

7.1.28 एए को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्रोतों से सूचना, अनुसंधान और गतिविधियों संबंधी आकलन जुटाने और प्रचारित करने चाहिए।

7.1.29 एए को आकलन प्रक्रिया में किसी कदाचार या कुप्रशासन की घटना से बचने के लिए सभी तर्कसंगत कदम उठाने चाहिए। एए को संदिग्ध या कथित कदाचार या कुप्रशासन की जांच के लिए अद्यतन लिखित प्रक्रिया स्थापित करनी चाहिए और उसका रखरखाव करना तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी जांच कठोरता से, प्रभावी ढंग से और समुचित दक्षता के व्यक्तियों द्वारा जिन्हें उनके परिणाम में व्यक्तिगत रूचि हो, की जाये। एए संबंधित एबी को ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत करेगा। गंभीर प्रकृति के मामलों में रिपोर्ट की एक प्रति एनसीवीईटी को प्रस्तुत की जाये।

7.1.30 आकलन के लिए आनलाइन पद्धति का प्रयोग करने वाले किसी एए को एनसीवीईटी को आकलन प्रकिया की वास्तविक समय में निगरानी के लिए एक लिंक भी देना चाहिए। आकलन की आफलाइन या मिश्रित पद्धति के प्रयोग वाले अन्य को आकलित किये जा रहे बैच के वीडियो क्लिप और तस्वीरें देनी चाहिए।

7.1.31 जहां तक आकलनकर्ताओं और प्राप्टरों सहित अपने कर्मचारियों का संबंध है **पिछड़े वर्गों** के लिए लैंगिक समानता और सकारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाये।

7.1.32 प्रशिक्षुओं, नियोजकों, आकलनकर्ताओं, प्रशिक्षण संस्थानों और अन्य एजेंसियों जैसे हितार्थियों से प्राप्त **फीडबैक** मंगाने, रिकार्ड करने, विश्लेषण करने और उन पर कार्रवाई के लिए एक प्रणाली की स्थापना सुनिश्चित की जाय।

7.1.33 एनसीवीईटी के लिए आकलन एजेंसी प्रचालन नियम पुस्तिका की धारा 4 के अंतर्गत यथा विहित निर्धारित समय-सीमा में निरंतरता मापदंडों के अनुपालन के वांछित **साक्ष्य** प्रस्तुत करना।

7.1.34 आकलन एजेंसी प्रचालन नियम पुस्तिका की धारा 8 के अंतर्गत यथा विहित एनसीवीईटी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार **निरीक्षण** को सुगम बनाना।

7.1.35. आकलन एजेंसी प्रचालन नियम पुस्तिका की धारा 8 के अंतर्गत यथा विहित **स्व-विनियमन, निरंतर निगरानी और वार्षिक समीक्षा** सिफारिशों का अनुपालन करना।

7.1.36. एए प्रचालन नियम पुस्तिका की धारा 7.1 और 7.2 के अंतर्गत एनसीवीईटी द्वारा सिफारिश के अनुसार **जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों** का अनुपालन करना।

7.1.37 एनसीवीईटी द्वारा अधिदेशित अपनी स्वयं की आंतरिक टीम या किसी एजेंसी के जरिये **प्रशिक्षुओं के आकलन के आंकड़ों के एक कोष** का रखरखाव करना।

7.1.38 हस्ताक्षरित करारों या संविदाओं के संबंधित प्रावधानों में आंकड़ा गोपनीयता और निजता कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

7.2 एए निम्न यह कर सकता है, —

7.2.1 अपने एसएमई के जरिये और संबंधित एबी के परामर्श से तथा एनएसक्यूएफ सुमेलित और अनुमोदित योग्यताओं के आकलन मानकों के अनुपालन में निरंतरता और कार्य भूमिका की प्रासंगिकता को बनाये रखने के लिए उद्योगों के परामर्श से आकलित की जा रही प्रत्येक कार्य भूमिका के लिए प्रश्न बैंक तैयार करना।

7.2.2 विशिष्ट योग्यताओं संबंधी आकलनकर्ताओं के प्रशिक्षण का उचित संचालन सुनिश्चित करना ताकि उन्हें एनएसक्यूएफ सुमेलित और अनुमोदित योग्यताओं के अनुसार आकलन मानकों से संबंधित रखा जा सके।

7.2.3 आवार्डिंग निकायों के जरिये आकलनकर्ताओं को प्रदत्त प्रशिक्षण के संबंध में तर्कसंगत शुल्क प्रभारित करना।

7.2.4 आवार्डिंग निकायों (एबी), उद्योग, प्रशिक्षुओं और अन्य हितार्थियों के बीच उनके कार्यकालापों संबंधी सूचना प्रसारित करना।

7.3 एए यह नहीं करेगा, —

7.3.1 एए ऐसे किसी कार्यकलाप में शामिल नहीं होगा जो किसी आकलन एजेंसी के रूप में एए के कार्यकरण में हितों के टकराव में हो या ऐसी स्थिति बनाता हो।

7.3.2 एए टीओए के अतिरिक्त एनएसक्यूएफ सुमेलित और अनुमोदित योग्यताओं संबंधी किसी प्रशिक्षण को चलाने में शामिल नहीं होगा।

7.3.3 एए इस करार में अनुमति नहीं दिये गये किसी तरीके से एनसीवीईटी के ब्रांड या लोगो का प्रयोग

नहीं करेगा।

7.3.4 एए किसी एनएसक्यूएफ सुमेलित और अनुमोदित योग्यता या कौशल के संबंध में किसी प्रशिक्षु / विद्यार्थी/ प्रशिक्षार्थी/ व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का आकलन तब नहीं करेगा यदि ऐसी योग्यता या कौशल के लिए उसे मान्यता नहीं दी गई है; और

7.3.5 एए इस प्रयोजनार्थ परिषद या परिषद द्वारा नियुक्त किसी निकाय / एजेंसी द्वारा किये गये किसी निरीक्षण या जांच में तब तक बाधा नहीं डालेगा या सहयोग करने से मना नहीं करेगा जब तक वह इस करार, एए दिशानिर्देशों और एए प्रचालन नियम पुस्तिका के अंतर्गत उसके दायित्व से संबंधित हो।

7.3.6 एए एनसीवीईटी के दिशानिर्देशों, एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी आवार्डिंग निकाय जिसमें उस आकलन एजेंसी को नियोजित किया है या एनसीवीईटी द्वारा दिशानिर्देशों के अनुसार असाक्षांकित आधारों पर उचित समय पर आवंटित प्रशिक्षण बैचों के किसी आकलन से विशेष रूप से तब मना नहीं करेगा जबकि आकलन सुदूर क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, अशांत क्षेत्रों या कम संख्या में बैचों के लिए निर्धारित हो। तथापि, किसी विपथन/ विवाद की स्थिति में एनसीवीईटी का निर्णय अंतिम होगा।

7.4 **एनसीवीईटी इस करार के अंतर्गत निम्नलिखित जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगी:**

7.4.1 आकलन एजेंसियों को विनियमित करने के लिए **विस्तृत दिशानिर्देश और प्रचालन नियम पुस्तिका** को प्रचालित करना

7.4.2 विशेष परिस्थितियों में एए को प्रशिक्षुओं के विशेष बैच का आकलन करने की जिम्मेदारी आवंटित कर सकती है जिसके कारण रिकार्ड किये जाएंगे।

7.4.3 आकलन एजेंसियों की समग्र **निगरानी और विनियमन**

7.4.4 आकलन एजेंसी प्रचालन नियम पुस्तिका की धारा 8 के अंतर्गत **आकलन एजेंसियों का निरीक्षण** करना।

7.4.5 आकलन एजेंसी प्रचालन नियम पुस्तिका की धारा 8 के अंतर्गत यथा विहित आकलन एजेंसी की **लगातार निगरानी और वार्षिक समीक्षा** करना।

7.4.6 आकलन एजेंसी प्रचालन नियम पुस्तिका की धारा 7.1 और 7.2 के अंतर्गत यथा विहित आकलन एजेंसी की **वार्षिक जोखिम रेटिंग** ज्ञात करना और प्रकाशित करना।

7.4.7 आकलन एजेंसी प्रचालन नियम पुस्तिका की धारा 7.1 और 7.2 के अंतर्गत यथा विहित **जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों** को कार्यान्वित करने के लिए आकलन एजेंसी की सहायता। किसी गैर अनुपालन की समीक्षा और वीडियो रिकार्डिंग को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम / ड्राइव में स्टोर करना।

7.4.8 आकलन एजेंसी प्रचालन नियम पुस्तिका की धारा 7.1 के अंतर्गत यथा विहित एनसीवीईटी राजपत्र अधिसूचना के अनुक्रम में आकलन एजेंसी पर **जुर्माना** लगाना।

7.4.9 एनसीवीईटी शिकायता निवारण तंत्र और दिशानिर्देशों के अनुसार आकलन एजेंसी द्वारा की गई

शिकायतों का ध्यान देना।

7.4.10 आकलन एजेंसी द्वारा प्रयोग किये जाने वाले आकलनकर्ताओं की निष्पादन रेटिंग के लिए मापदंड निर्धारित करना और एए द्वारा समय-समय पर एनसीवीईटी को इसकी सूचना दी जाएगी।

8. पक्षकारों के वित्तीय दायित्व

8.1 एनसीवीईटी उन व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (वीईटी) कार्यक्रमों से संबंधित किसी निधि वितरण संबंधी किसी मामले के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जिसके लिए आकलन एजेंसी द्वारा आकलन किया गया है, तथा जिसे मंत्रालयों, राज्य सरकारों या किसी अन्य एजेंसी द्वारा वित्तपोषित किया गया हो।

8.2 ऐसे वित्तीय मामले और आकलन शुल्क के भुगतान की बाद की देयता कार्यक्रम का वित्तपोषण करने वाले मंत्रालयों या राज्य विभागों के दिशानिर्देशों के अनुसार कड़ाई से संबंधित स्कीम के आवार्डिंग निकाय (एबी)/ कार्यान्वयन एजेसी पर होगी। गैर-सरकारी प्रशिक्षण / आकलनों के लिए संबंधित एबी आकलन के पूरा होने और प्रस्तुत होने से दो महीने की सहमत समय-सीमा के भीतर परस्पर सहमत आकलन शुल्कों को जारी करने के लिए जिम्मेदार होगा।

9. मान्यता देने वाले करार का अतिक्रमण और ऐसे अतिक्रमण के लिए कार्रवाई

9.1 निम्नलिखित परिस्थितियों को इस करार का अतिक्रमण / वास्तविक अतिक्रमण माना जा सकता है:

9.1.1 इस करार के प्रावधानों के लिए आकलन एजेंसी के गैर अनुपालन के कारण होने वाले किसी अतिक्रमण को करार का अतिक्रमण माना जाएगा।

9.1.2 आकलन एजेंसियों की मान्यता और विनियमन के लिए दिशानिर्देश 2020 और आकलन एजेंसियों की मान्यता और विनियमन के लिए प्रचालन नियम पुस्तिका 2020 के प्रावधानों के लिए आकलन एजेंसी के गैर अनुपालन के कारण होने वाला कोई अतिक्रमण।

9.1.3 आकलन एजेंसियों की मान्यता और विनियमन के लिए दिशानिर्देश 2020 और आकलन एजेंसियों की मान्यता और विनियमन के लिए प्रचालन नियम पुस्तिका 2020 में यथा प्रदत्त एए की निगरानी के लिए यथा विहित मध्यम जोखिम और उच्च जोखिम रेटिंग में खाने वाले एए ।

9.1.4 किसी पक्षकार द्वारा इन परिस्थितियों में अपने किसी दायित्व को पूरा करने में विफल रहने को इस करार के अंतर्गत अतिक्रमण या चूक नहीं माना जाएगा। यदि ऐसी असमर्थता अप्रत्याशित आपदा के कारण होती है। बशर्ते कि ऐसी घटना से प्रभावित पक्षकार ने सभी तर्कसंगत सावधानियां, आवश्यक देखरेख और तर्कसंगत वैकल्पिक उपाय ये सभी इस करार के निबंधनों और शर्तों के पालन के उद्देश्य से किये हों।

9.2 यदि समीक्षा के दौरान आकलन एजेंसी की मध्यम जोखिम या उच्च जोखिम रेटिंग के कारण

अतिक्रमण होता है तो एनसीवीईटी निम्नानुसार कार्रवाई कर सकती है:

9.2.1 मान्यता के पहले वर्ष के बाद मध्यम जोखिम रेटिंग में आने से एनसीवीईटी द्वारा निजी चेतावनी दी जा सकती है।

9.2.2 मान्यता के बाद दो लगातार वर्षों के लिए मध्यम जोखिम में आने पर एनसीवीईटी सार्वजनिक चेतावनी दे सकती है।

9.2.3 मान्यता के बाद तीन लगातार वर्षों के लिए मध्यम जोखिम रेटिंग में आने पर सार्वजनिक चेतावनी दी जा सकती है और एनसीवीईटी वित्तीय जुर्माना भी लगा सकता है।

9.2.4 मान्यता के बाद तीन से अधिक वर्षों के लिए मध्यम जोखिम रेटिंग में आने पर एनसीवीईटी द्वारा निलंबन किया जा सकता है।

9.2.5 मान्यता के पहले वर्ष के बाद उच्च जोखिम रेटिंग में आने पर एनसीवीईटी द्वारा सार्वजनिक चेतावनी दी जा सकती है।

9.2.6 मान्यता के बाद लगातार दो वर्षों के दौरान उच्च जोखिम रेटिंग में आने पर सार्वजनिक चेतावनी दी जा सकती है और एनसीवीईटी वित्तीय जुर्माना भी लगा सकती है।

9.2.7 मान्यता के बाद लगातार तीन वर्ष के लिए उच्च जोखिम रेटिंग में आने पर निलंबन हो सकता है और उसके बाद एनसीवीईटी द्वारा आकलन एजेंसी की मान्यता रद्द की जा सकती है।

9.3 बशर्ते कि परिषद समय-समय पर इस संबंध में परिषद द्वारा बनाये गये और जारी दिशानिर्देशों के अधीन मुआवजा / जुर्माना लगा सकती है जिसमें सरकार के अनुमोदन से ऐसे मुआवजे/जुर्माने की ऊपरी सीमा में पालन की गई प्रक्रिया शामिल है। बशर्ते यह भी कि एनसीवीईटी अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार कोई कार्रवाई करने या मुआवजा देने से पहले एनसीवीईटी द्वारा सभी पक्षकारों को सुनवाई का आवश्यकत और उचित अवसर प्रदान किया जाएगा।

10. मान्यता प्रदान करने वाले करार का उल्लंघन और ऐसे उल्लंघन पर कार्रवाई

10.1निम्नलिखित को एए की ओर से गंभीर उल्लंघन के रूप में माना जाएगा:

10.1.1 आकलन एजेंसी द्वारा मान्यता के लिए उसके प्रस्ताव में प्रस्तुत ऐसा कोई दस्तावेज, सूचना या आंकड़ा या विवरण जिसके आधार पर आकलन एजेंसी को मान्यता देने का पात्र माना गया था, यदि उसे किसी स्तर पर एनसीवीईटी द्वारा छूठा, गलत या गुमराह करने वाला पाया जाता है।

10.1.2 परिषद को एए के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एनसीवीईटी को गुमराह करने की कोई वास्तविक सूचना छिपाने के इरादे से कोई छूठा दस्तावेज या सूचना प्रस्तुत करना।

10.1.3 एनसीवीईटी को आकलन एजेंसी द्वारा कोई ऐसा विवरण प्रस्तुत करना जिसके छूठा होने की जानकारी आकलन एजेंसी को हो और जिससे एनसीवीईटी के अधिकारों, दायित्वों या हितों पर वास्तविक प्रभाव पड़ा हो।

10.1.4 एए द्वारा एए के कार्यों में किसी भ्रष्ट प्रक्रिया, कदाचार और / या धोखाधड़ी के साधनों में शामिल होना जिन्हें एनसीवीईटी द्वारा आवश्यक जांच के बाद सही पाया गया हो।

10.2 बशर्ते कि परिषद ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जिसे वह समय-समय पर इस संबंध में परिषद द्वारा बनाये गये और जारी दिशानिर्देशों के अधीन निलंबन, मान्यता हटाने या समाप्ति के लिए गंभीर उल्लंघन सहित न्यायसंगत और उचित मानती हो। ऐसे दिशानिर्देशों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, की जाने वाली कार्रवाई, किसी गंभीर उल्लंघन के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित ऐसे मुआवजे/ जुर्माने की अधिकतम सीमा शामिल हो सकती है। बशर्ते यह भी कि एनसीवीईटी अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार कोई मुआवजा/ जुर्माना लगाने से पहले एनसीवीईटी द्वारा सभी पक्षकारों को सुनवाई का आवश्यक और उचित अवसर प्रदान किया जाएगा।

10.3 किसी वित्तीय जुर्माने को लगाने सहित एए संबंधी इस करार में उल्लिखित कार्रवाई को परिषद की अधिसूचना और सरकार के परामर्श से समय-समय पर इस संबंध में एनसीवीईटी द्वारा जारी आवश्यक दिशानिर्देशों/ आदेशों के पैराग्राफ 28 में यथा विनिर्दिष्ट आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

11. आकलन और आकलन एजेंसी के संबद्ध अधिकारों का निलंबन

11.1 इस करार में किसी अन्य खंड (डों) के होते हुए भी एनसीवीईटी आकलन एजेंसी को निलंबन का लिखित नोटिस देकर एए को प्रदत्त कुछ या सभी आकलन और संबद्ध अधिकारों को निलंबित कर सकती है। आकलन एजेंसी की मान्यता निम्नलिखित परिदृश्य में एनसीवीईटी द्वारा **निलंबित** की जा सकती है:

11.1.1 इस करार के खंड 10.1 में यथा वर्णित एए की ओर से किसी गंभीर उल्लंघन के लिए।

11.1.2 इस करार के खंड 10.1 में यथा वर्णित इस करार का कोई वास्तविक उल्लंघन।

11.1.3 आकलन एजेंसी, आकलन एजेंसियों की मान्यता और विनियमन के लिए प्रचालन नियम पुस्तिका 2020 के **अनुबंध-V** के अंतर्गत विहित स्वमूल्यांकन प्रपत्र में यथा विहित संगत सूचना मान्यता अवधि के एक वर्ष पूरा होने के एक माह के भीतर प्रस्तुत करने में विफल रहती है।

11.1.4 आकलन एजेंसी इस करार की वैधता अवधि के दौरान एनसीवीईटी द्वारा जारी आकलन एजेंसियों की मान्यता और विनियमन के लिए दिशानिर्देश 2020 और आकलन एजेंसियों की मान्यता और विनियमन के लिए प्रचालन नियम पुस्तिका 2020 में वर्णित जोखिम आकलन कार्यढांचे के अनुसार **उच्च जोखिम या मध्यम जोखिम श्रेणी** में आ जाती है।

11.1.5 ऐसी अन्य विशेष परिस्थितियां जो एनसीवीईटी द्वारा ऐसे निलंबन को न्यायसंगत ठहराती है जिसके कारण लिखित में दर्ज किये जाएं।

11.2 ऐसे किसी एए को निलंबन के बाद खंड 11.1.1 के अनुसार आकलन एजेंसियों की मान्यता और विनियमन के लिए दिशा निर्देश 2020 और आकलन एजेंसियों की मान्यता और विनियमन के लिए प्रचालन नियम पुस्तिका 2020 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दो महीने का समय दिया जाएगा और यदि ऐसा अनुपालन संतोषजनक पाया जाता है तो एनसीवीईटी के विवेकानुसार एए की मान्यता बहाल की जा सकती है।

11.3 यदि एए को खंड 11.1.1 के अधीन को छोड़कर इस करार या किसी अन्य कारण से उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो एनसीवीईटी एए को जोटिस जारी करेगी जिसमें ऐसे उल्लंघन या एए

की ओर से विफलता की प्रकृति विनिर्दिष्ट की जाए और आकलन एजेंसी को निलंबन के ऐसे नोटिस की आकलन एजेंसी द्वारा प्राप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर ऐसे उल्लंघन या विफलता के उपचार का अवसर प्रदान करेगी।

11.4 निलंबन अवधि के दौरान आकलन एजेंसी की मान्यता निलंबित रहेगी और आकलन एजेंसी किसी आवार्डिंग निकाय से आकलन के लिए कोई बैच नहीं लेगी। किसी संबद्ध आवार्डिंग निकाय में पहले से आवंटित बैचों जिन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा नहीं किया हो, को एनसीवीईटी द्वारा आकलन एजेंसी के जोखिम और लागत पर समान योग्यताओं के आकलन के लिए प्राधिकृत किसी अन्य आकलन एजेंसी में भी स्थानांतरित किया जा सकता है।

11.5 जैसे आकलन एजेंसी कमी / कमियों को दूर कर लेती है और इस करार के खंड 11.2 और 11.3 में उल्लिखित समय सीमाओं के भीतर आकलन एजेंसियों की मान्यता और विनियमन के लिए दिशानिर्देश 2020 और आकलन एजेंसियों की मान्यता और विनियमन के लिए प्रचालन नियम पुस्तिका 2020 के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करती है और उसे संतोषजनक पाया जाता है तो एनसीवीईटी के विवेकानुसार आकलन एजेंसी की मान्यता बहाल की जा सकती है।

12. करार की समाप्ति

12.1 **एनसवीईटी द्वारा:** एनसीवीईटी खंड 10 और खंड 11 में विनिर्दिष्ट किसी घटना के होने की जानकारी उसे मिलने के बाद आकलन एजेंसी को समाप्ति का 15 (पंद्रह) दिनों तक लिखित नोटिस दे कर इस करार को समाप्त कर सकता है और यदि:

12.1.1 आकलन एजेंसी यहां उक्त खंड 11 के अनुपालन में निलंबन के नोटिस में यथा विनिर्दिष्ट खंड 11 में विनिर्दिष्ट अवधि या ऐसी बढ़ाई गई अवधि जिसे बाद में एनसीवीईटी द्वारा प्रदान किया गया हो, के भीतर अपने दायित्वों के निर्वहन में उल्लंघन का उपचार या विफलता का उपचार करने में विफल रहता है।

12.1.2 एए को निम्नलिखित में से किसी के कारण गैर मान्यता प्राप्त किया जा सकता है:

क. इस करार के खंड 9.1 में यथा वर्णित इस करार के वास्तविक उल्लंघन के लिए;

ख. इस करार के खंड 10.1 में यथा वर्णित एए की ओर से किसी गंभीर उल्लंघन के लिए;

ग. एए निलंबन के दो माह बाद भी आकलन एजेंसियों की मान्यता और विनियमन के लिए दिशानिर्देश 2020 और आकलन एजेंसियों की मान्यता और विनियमन के लिए प्रचालन नियम पुस्तिका 2020 का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहता है;

घ. किसी एए को ऐसे किसी व्यापार प्रक्रिया में शामिल पाया जाता है जो इस करार जैसे फ्रेंचाइजी मॉडल के अंतर्गत अनुमति प्राप्त नहीं हो;

ङ. एए के शासी निकाय के सदस्य ने इस प्रकार से त्यागपत्र और/ या कार्य करना बंद कर दिया हो कि इसकी संख्या कोरम के लिए अपेक्षित सदस्यों के न्यूनतम संख्या से कम हो गई हो और परिषद ने ऐसे एए की मान्यता हटाने की सिफारिश की हो;

च. एनसीवीईटी अधिसूचना दिनांक 5 दिसंबर, 2020 के प्रावधानों के अंतर्गत परिषद द्वारा निर्णित किये जाने वाले हितों के किसी गंभीर टकराव के लिए;

12.1.3 आकलन एजेंसी शोधन अक्षम या दिवालिया हो जाती है या ऋण से राहत के लिए अपने ऋणदाताओं के साथ किसी करार में शामिल होती है या ऋणदाताओं के लाभ के लिए किसी कानून का फायदा उठाती है या परिसमापन करती है या प्राप्तकर्ता बनती है, चाहे अनिवार्य हो या स्वैच्छिक ।

12.1.4 आकलन एजेंसी खंड 17 के अनुपालन में मध्यस्था की कार्रवाई के परिणामस्वरूप हुए किसी अंतिम निर्णय का अनुपालन करने में विफल रहती हो।

12.1.5 आकलन एजेंसी एनसीवीईटी को कोई ऐसा विवरण प्रस्तुत करती हो जिसे आकलन एजेंसी जानती हो कि यह छूठा है और जिससे एनसीवीईटी के अधिकारों, दायित्वों और हितों पर वास्तविक प्रभाव पड़ता हो।

12.1.6 आकलन एजेंसी द्वारा अपने प्रस्ताव में प्रस्तुत ऐसा कोई दस्तावेज, सूचना, आंकड़े या विवरण जिसके आधार पर आकलन एजेंसी को मान्यता देने का पात्र माना गया था, छूठा, गलत या भ्रामक पाया जाता है।

12.1.7 अप्रत्याशित आपदा के परिणामस्वरूप इस करार के खंड 15 में यथा सूचीबद्ध।

12.1.8 इस करार के आकलन एजेंसी दिशानिर्देश या खंड 9 में यथा निर्धारित करार के उल्लंघन की कोई स्थिति।

12.1.9 परिषद किसी अन्य न्यायसंगत कारण से इस करार को समाप्त करने का निर्णय लेती है जिसे लिखित में रिकार्ड किया जाएगा।

12.2 **आकलन एजेंसी द्वारा:** एए परिषद को 30 (तीस) दिन से अधिक के लिखित नोटिस द्वारा जहां यह नोटिस इस खंड में विनिर्दिष्ट किसी घटना के होने के बाद दिया हो, इस करार को समाप्त कर सकती है, यदि:

12.2.1 एनसीवीईटी ने इस करार के अनुपालन में अपने दायित्वों का कोई वास्तविक उल्लंघन किया हो और जांच के अधीन ऐसे उल्लंघन को दर्शाने वाले एए के नोटिस के एनसीवीईटी द्वारा प्राप्ति के बाद इस प्रकार से 45 (पैतालिस) दिनों (या ऐसी अधिक अवधि जिसे एनसीवीईटी और एए आपस में निर्णित करें) के भीतर उसका समाधान न किया हो जिसमें ऐसे उल्लंघन से इस करार के अंतर्गत एए की सेवाओं का निष्पादन प्रभावित हुआ हो और ऐसे उल्लंघन के संबंध में एनसीवीईटी से कार्रवाई अपेक्षित हो।

12.2.2 प्राकृतिक आपदा के परिणामस्वरूप एए 60 (साठ) दिनों से अधिक अवधि के लिए सेवाओं के वास्तविक को देने में असमर्थ हो: या

12.2.3 एनसीवीईटी खंड 17 के अनुपालन में मध्यस्था के परिणामस्वरूप हुए किसी अंतिम निर्णय का पालन करने में विफल रहता है।

12.2.4 एए ने ऐसे नोटिस के जारी होने से कम से कम 60 दिन पहले कारण सहित मान्यता को अभ्यर्थित करने के लिए एनसीवीईटी को पहले ही औपचारिक सूचना दी हो।

12.3 **अधिकारों और दायित्वों की समाप्ति:** इस करार के खंड 12.1 या 12.2 के अनुपालन में इसकी समाप्ति पर या इस करार की अवधि समाप्त होने पर इसके अंतर्गत पक्षकारों के निम्न को छोड़कर सभी अधिकार और दायित्व समाप्त हो जाएंगे।

12.3.1 ऐसे अधिकार और दायित्व जो समाप्ति या समय समाप्ति की तारीख को मिले हों या जो स्पष्ट रूप से समाप्ति के बाद मौजूद हों।

12.3.2 तत्संबंधी खंड 20 में रखे गए गोपनीयता के दायित्व।

12.3.3 ऐसा कोई अधिकार या उपचार जो इस करार या लागू कानून के अंतर्गत किसी पक्षकार के पास हो।

12.4 **सेवाओं और कार्यकलापों की समाप्ति:** खंड 12.1 या 12.2 के अनुसार किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को नोटिस देकर करार की समाप्ति पर एए तत्काल ऐसे नोटिस का प्रेषण या प्राप्ति होने पर प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षुओं के चल रहे बैचों या जांच के अधीन कार्य और सीमाओं पर कोई हानिकारण प्रभाव डाले बिना एक त्वरित और व्यवस्थित तरीके से सेवाओं तथा कार्यकलापों को बंद करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

13. गोपनीयता

13.1 प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार से संबंधित सभी व्यापार की गुप्त बातों, ज्ञान, आंकड़े और अन्य सूचना, इस करार से संबंधित सूचना ("सूचना") को गोपनीय रखेगा।

13.2 कोई भी पक्षकार इस करार से संबंधित कोई प्रकटन और/ या सौदे के लिए दूसरे पक्षकार के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई सार्वजनिक विज्ञप्ति या सार्वजनिक घोषणा या अन्यथा जारी नहीं करेगा। तथापि बशर्ते कि इस करार की कोई भी बात किसी पक्षकार को दूसरे पक्षकार को 7 दिनों की पूर्व लिखित सूचना देने के अधीन लागू कानून के अंतर्गत यथा अपेक्षित किसी सूचना का प्रकटन करने से प्रतिबंधित नहीं करेगी।

13.3 यहां वर्णित कोई भी बात किसी पक्षकार के ज्ञान की आवश्यकता के आधार पर अपने संबद्ध लोगों सहित कर्मचारियों, निदेशकों, अधिकारियों और पेशेवर सलाहकारों की किसी सूचना के प्रकटन के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी। परंतु यह यहां प्रकटन पक्षकार पर यथा लागू और/ या किसी विनियामक प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति को लागू कानूनों के अंतर्गत यथा अपेक्षित सूचना के गोपनीय होने के दायित्व के अधीन होगा।

13.4 एए आकलन सामग्री के भंडारण और आकलन प्रक्रिया के सभी स्तरों की गोपनीयता सुनिश्चित करेगा।

13.5 एए यह सुनिश्चित करेगा कि किसी कर्मचारी के संगठन छोड़ने या संगठन की जरूरतों के कारण कार्यमुक्त किये जाने पर उसके द्वारा कोई आंकड़े उद्घाटित नहीं किये जाएंगे और इस प्रकार उस एजेंसी तथा एनसीवीईटी की सूचना की गोपनीयता खतरे में नहीं डाली जाएगी जिसे सूचना का अनधिकृत अधिकार या चोरी माना जा सकता है। एए अपने कर्मचारियों के साथ सेवा की शर्तों में समुचित और उपयुक्त कानूनी खंड शामिल करेगा।

14. आंकड प्रबंधन, आंकड़ा निजता और आंकड़ा संरक्षण

14.1 **एए,** एए दिशानिर्देशों और नियम पुस्तिका की सिफारिशों तथा एनसीवीईटी द्वारा यथा अपेक्षित समय-समय पर परिषद द्वारा विहित सिफारिशों से संबंधित समस्त सूचना/आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए अधिदेशित है।

14.2 आकलन एजेंसी यह सुनिश्चित करने के लिए सभी तर्कसंगत उठाएगी कि प्रत्येक शिक्षार्थी जो योग्यता का आकलन करता है जिसे आकलन एजेंसी चला रही है, में इस प्रकार पंजीकृत हो जिससे प्रशिक्षार्थी को सरलता से और अलग से पहचाना जाये।

14.3 भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार आकलनकर्ताओं और प्राप्टरों सहित एनसीवीईटी और आकलन एजेंसी को दिये गये सभी बैचों को प्रशिक्षार्थी की सूचना की पूरी गोपनीयता बनाये रखनी चाहिए जिसे इस करार के अंतर्गत प्रदत्त तरीके को छोड़कर किसी अन्य प्रयोजनार्थ शेयर या प्रयोग नहीं किया जाएगा।

14.4 भारत सरकार द्वारा यथा प्रदत्त आंकड़ा सुरक्षा**,** निजता और स्टोरेज दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।

14.5 आकलन के समय पाया गया कोई गैर अनुपालन जैसे यूआईडी का वैधीकरण नहीं हुआ या इसी

प्रकार के रेडफ्लैक्स को एए द्वारा आकलन के एक सप्ताह के भीतर एनसीवीईटी को लिखित में सूचित किया जाना चाहिए।

15. अप्रत्याशित घटनाएं

15.1 अप्रत्याशित घटना: एनसीवीईटी या आकलन एजेंसी जैसा भी मामला हो, इस करार के अंतर्गत अपने-अपने दायित्वों के निर्वहन को उस सीमा तक निलंबित या छोड़ने के हकदार होंगे, जहां ऐसा निर्वहन अप्रत्याशित घटना (अप्रत्याशित घटना) द्वारा बाधित होता हो।

15.2 **अप्रत्याशित घटनाएं:** अप्रत्याशित घटना का अर्थ कोई घटना या परिस्थिति या घटना और परिस्थिति का ऐसा संयोग है जो इस खंड में बताया गया है अर्थात:

15.2.1 प्रभावित पक्षकार के तर्कसंगत नियंत्रण के बाहर हो।

15.2.2 ऐसा पक्षकार तर्कसंगत कौशल और देखरेख का प्रयोग करके भी उसे रोक नहीं सकता हो या तर्कसंगत ढंग से निपट नहीं सकता हो।

15.2.3 वह ऐसे पक्षकार की लापरवाही का या इस करार के अंतर्गत ऐसे पक्षकार द्वारा उसके दायित्वों के निर्वहन में विफलता का परिणाम नहीं हो।

15.2.4 वह अक्षमता की प्रकृति का हो और निष्पादन में रोक या देरी या बाधा का कारण हो; और

15.2.5 उसे निम्नलिखित में से सभी या किसी घटना के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता हो: ऐसी घटनाओं में शामिल हैं:

I. गैर-राजनीतिक घटनायें

(क) दैवीय आपदा जिसमें भूकंप, बाढ़, जल मग्न होना, भूस्खलन, अत्यधिक प्रतिकूल मौसम दशायें, तूफान, झंझावार, हरिकेन, चक्रवात, बिजली गिरना, थंडर, ज्वालामुखी फटना, आग या अन्य अतिवादी वातावरण दशाएं शामिल हैं;

(ख) रेडिया धर्मी संदूषण या आयोनाइजिंग विकिरण या जीव वैज्ञानिक संदूषण, विकिरण या रेडियाधर्मिता या जीव वैज्ञानिक संदूषण सामग्री के प्रयोग से उत्पन्न स्थिति को छोड़कर;

(ग) हड़ताल, तालाबंदी, बहिष्कार जैसा भी मामला हो, जो एए के कार्यों या निष्क्रियता से न हुआ हो और जिससे इस करार में यथा अधिदेशित समय पर कार्यान्वयन और निरंतर प्रचालन प्रभावित होता हो; या

(घ) प्रकृति की कोई घटना या परिस्थिति जो पूर्वोक्त के समान हो या कोविड जैसी महामारी;

II. राजनीतिक घटनाएं

इस करार के अंतर्गत प्रदत्त कानून में किसी परिवर्तन के लिए राहत को छोड़कर कानून में कोई परिवर्तन।

III. अन्य घटनाएं

(क) युद्ध (चाहें घोषित हो या अघोषित), संघर्ष, आक्रमण, सशस्त्र संघर्ष या विदेश शत्रु का कृत्य, ब्लॉकेड, व्यापार पर रोक, लंबा दंगा, विद्रोह, आतंकवादी, सैन्य कार्रवाई, नागरिक संघर्ष या राजनीतिक साजिश जो 7 (सात) दिनों से अधिक से लगातार जारी हो।

(ख) संदेह से बचने के लिए यह बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि इस करार या तीसरे पक्षकार के साथ एए करार के अंतर्गत एए की ओर से आपदा आकस्मिकता योजना के कार्यान्वयन और प्राकृतिक आपदा, आग लगने, साजिश या अन्य समान घटना के विरूद्ध इस करार या तीसरे पक्ष के साथ एए के करार के अनुसार बैकअप और अन्य आंकड़ा रक्षोपाय कार्यान्वित करने में विफलता को अप्रत्याशित घटना नहीं माना जाएगा।

(ग) संदेह से बचने के लिए यह भी स्पष्ट किया गया है कि सेवा के निष्पादन में किसी लापरवाही जो हैकिंग जैसे किसी सुरक्षा उल्लंघन का प्रत्यक्ष कारण हो, को प्राकृतिक आपदा नहीं माना जाएगा और इसलिए वे "अप्रत्याशित घटना" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। सेवाओं के निष्पादन के लागू होने के संबंध में सेवा प्रदाता (एए और तीसरा पक्षकार दोनों) अकेले ही जोखिम आकलन पूरा करने के लिए उत्तरदायी होंगे और सुरक्षा में किसी उल्लंघन और उससे उत्पन्न किसी देयता (जहां लागू हो) से बचने के लिए पर्याप्त सुरक्षा सावधानी, सर्वोत्तम प्रक्रियाओं, प्रथाओं और प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

15.3 अप्रत्याशित घटना के लिए अधिसूचना प्रक्रिया

15.3.1 प्रभावित पक्षकार किसी अप्रत्याशित घटना के होने के 7 (सात) दिनों के भीतर दूसरे पक्षकार को ऐसी घटना की सूचना देगा।

15.3.2 उस स्थिति के समाप्त होने जिससे पक्षकार ने अप्रत्याशित घटना का दावा किया है, दावा करता पक्षकार 7 (सात) दिनों के भीतर दूसरे पक्षकार को लिखित में समाप्ति की सूचना देगा और पक्षकार उसके बाद जितनी जल्दी व्यवहार्य हो, इस करार के अंतर्गत सभी दायित्वों का निर्वहन जारी रखेंगे।

15.4 अप्रत्याशित घटना से उत्पन्न लागतों का आवंटन

15.4.1 प्रभावी तारीख से पहले, उस दिन या उसके बाद किसी अप्रत्याशित घटना के होने पर पक्षकार अपनी-अपनी लागतों का वहन करेंगे और कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार को किसी लागत का भुगतान नहीं करेगा।

15.4.2 संदेह से बचने के लिए अप्रत्याशित घटना की लागतों में ऋण पर ब्याज भुगतान, प्रचालन और रखरखाव खर्च, मंहगाई या सभी अन्य लागतों के कारण सेवाओं की लागत में किसी वृद्धि जिसके लिए अप्रत्याशित घटना प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हो, शामिल हैं।

15.4.3 इस खंड में स्पष्ट रूप से किसी बात के होते हुए और उसे छोड़कर कोई भी पक्षकार किसी अप्रत्याशित घटना के होने या मौजूदगी से संबंधित या उससे उत्पन्न किसी घाटे, नुकसान, लागत, खर्च, दावे, मांग और कार्यवाही या उसके अनुसार किसी अधिकार के प्रयोग के संबंध में किसी भी प्रकार से दूसरे पक्षकार के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

15.5. कम करने का परामर्श और दायित्व

15.5.1 इस खंड में अन्यथा प्रदत्त को छोड़कर प्रभावित पक्षकार अपनी स्वयं की लागत पर अप्रत्याशित घटना के उपचार और उसके प्रभाव को कम करने के लिए सभी तर्कसंगत कदम उठाएगा और जितनी जल्दी तर्कसंगत रूप से व्याहारिक हो, इस करार के अंतर्गत अपने दायित्वों के निर्वहन की अपनी क्षमता को बहाल करेगा।

15.5.2 प्रभावित पक्षकार अप्रत्याशित घटना के प्रभाव को कम करने के अपने प्रयासों से दूसरे पक्षकार को सूचित रखेगा और निरंतर आधार पर ऐसी घटना को कम करने के तर्कसंगत प्रयास करेगा और इसके अंतर्गत निष्पादन पुन: शुरू करने का लिखित नोटिस देगा।

16. शिकायतों का समाधान

16.1 परिषद ने शिकायत समाधान के लिए मान्यता प्राप्त निकायों के दायित्वों को बताते हुए शिकायत समाधान की प्रणाली के संबंध में दिशानिर्देश अधिसूचित किये हैं जो लागू होंगे।

16.2 शिकायत समाधान के अपने कार्य के निर्वहन में परिषद निम्नलिखित कर सकती है:

16.2.1 एए अर्थात किसी मौद्रिक मुआवजे के भुगतान सहित अपने संबंधित पीड़ित व्यक्ति की शिकायत समाधान के लिए मान्यता प्राप्त निकाय से अपेक्षा कर सकती है;

और

16.2.2 आकलन एजेंसियों के संचालन से संबंधित कतिपय प्रकार की शिकायतों के विरूद्ध स्वयं किसी पीड़ित व्यक्ति को समाधान प्रदान कर सकती है।

16.2.3 बशर्ते कि एनसीवीईटी अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार कोई मुआवजा देने से पहले एनसीवीईटी द्वारा सभी पक्षकारों को सुनवाई का आवश्यक और उचित अवसर दिया जाएगा।

16.3 आकलन एजेंसी के विनियमन और मान्यता संबंधी एनसीवीईटी दिशानिर्देशों से संबंधित एनसीवीईटी के विरूद्ध आकलन एजेंसी की शिकायत को एनसीवीईटी द्वारा जारी किये जाने वाले **"शिकायत समाधान दिशा निर्देशों"** के अनुसार हल किया जाएगा।

17. शिकायत समाधान और मध्यस्थता

17.1 इस करार से उत्पन्न या इससे संबंधित या इसके निर्माण, व्याख्या, उल्लंघन, समाप्ति या वैधता से उत्पन्न या उससे संबंधित पक्षकारों के बीच किसी विवाद, मदभेद, झगड़े या दावे ("विवाद") में प्राधिकृत प्रधिनिधि सद्भावना के साथ विवाद समाधान हेतु तत्काल बैठक करेगा और वार्ता का प्रयास करेगा। यदि पक्षकार किसी एक पक्षकार के ऐसा अनुरोध करने पर 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर विवाद समाधान में असमर्थ रहते हैं तो उस विवाद का समाधान इस पैरा में नीचे दिये गये खंडों के प्रावधान के अनुसार किया जाएगा।

17.2 इस करार के निर्माण, अर्थ, प्रचालन या प्रभाव से उत्पन्न या उससे संबंधित या उसके उल्लंघन के कारण पक्षकारों के बीच उत्पन्न किसी विवाद या मदभेद को आपसी चर्चा द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाया जाएगा।

17.3 यदि पक्षकार उक्त खंड 17.1 और 17.2 में यथा प्रदत्त किसी विवाद के समाधान में असमर्थ हों, तो ऐसे विवाद या मदभेद को पक्षकारों की आपसी सहमति से नियुक्त किये जाने वाले एकल मध्यस्थ को भेजा जाएगा और विवाद का पक्षकारों द्वारा आपसी रूप से नियुक्त एकल मध्यस्थ द्वारा भारतीय मध्यस्था और सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत निर्धारित मध्यस्थता नियमावली के अंतर्गत अंतिम रूप से निपटान किया जाएगा।

17.4 मध्यस्थ का स्थान केवल नई दिल्ली होगा और मध्यस्था की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में की जाएगी।

17.5 इसके अंतर्गत किसी सहमत मध्यस्थता निर्णय किसी क्षेत्राधिकार के न्यायालय में किये जा सकते हैं या निर्णय की न्यायिक स्वीकृति हेतु या प्रवर्तन के आदेश जैसा भी मामला हो, के लिए ऐसे

न्यायालय में आवेदन किया जा सकता है।

17.6 प्रत्येक पक्षकार मध्यस्था की अपनी संबंधित लागत का तब तक वहन करेगा जब तक मध्यस्थ अपने मध्यस्था निर्णय में अन्यथा निदेश न दें।

---

18. सूचनाएं और संचार की प्रक्रियाएं

18.1 इस करार में यथा विहित कोई सूचना या कोई अन्य पत्र समय-समय पर जारी एनसीवीईटी संचार दिशानिर्देशों के अनुसार दिया जाएगा।

19. क्षतिपूर्ति

19.1 एनसीवीईटी किसी भी विधिक दायित्व के अंतर्गत किसी तीसरे पक्षकार को ऐसे तीसरे पक्षकार को होने वाली ऐसी किसी क्षति के लिए क्षतिपूर्ति या उसे हानिरहित नहीं बनाएगा जो इस करार के अंतर्गत एए द्वारा प्रदत्त सेवाओं से संबंधित हो।

19.2 एए एतदद्वारा यह घोषित करता और यह स्थायी वचनबद्धता लेता है कि वह ऐसे सभी घाटों, नुकसान या दावों या अन्य मुकदमों या कार्यवाहियों के विरूद्ध एनसीवीईटी को रक्षित, हानिरहित और क्षतिपूर्ति करेगा जो इस करार के अंतर्गत उसके किसी दायित्व के किसी उल्लंघन से उत्पन्न हो। इसमें ऐसी दुर्घटना से उत्पन्न दायित्व शामिल हैं जो सेवाओं के दौरान और उनसे संबंधित हों और एए उसे सिद्ध करने वाले दस्तावेजी साक्ष्यों के अधीन क्षतिपूर्ति, जुर्माने, वकील की फीस, कानूनी लागत और अन्य प्रभारों के भुगतान की पूरी जिम्मेदारी लेता है।

20. अधित्याग

20.1 पक्षकारों को उपलब्ध किसी अधिकार को प्रवर्तित करने में पक्षकारों की विफलता को पक्षकारों को उपलब्ध किसी अधिकार का अधित्याग माना जाएगा।

20.2 किसी भी पक्षकार को दूसरे पक्षकार की लिखित सहमति के बिना अन्य पक्षकार को करार के लाभ देने (या बोझ के हस्तांतरण) का अधिकार नहीं होगा।

20.3 आकलन एजेंसी दिशानिर्देशों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट "निरंतरता मापदंडों" के अनुपालन के लिए आकलन एजेंसी को कोई अधित्याग प्रदान नहीं किये जाते हैं।

21. शासी कानून और क्षेत्राधिकार

21.1 यह करार तथा उसकी वैधता, निर्माण, निष्पादन और प्रवर्तन से संबंधित सभी मामले भारतीय कानून द्वारा शासित और उसके अनुसार चालित होंगे।

21.2 मध्यस्थता के लिए खंड 17.3 और 17.4 के किसी विधिक कार्यवाही के लिए होने के अधीन नई दिल्ली के न्यायालयों का ऐसी कार्यवाहियों के संबंध में अनन्य क्षेत्राधिकार होगा।

22. करार का संशोधन

इस करार के निबंधन और शर्तों में कोई संशोधन तथा सेवाओं के दायरे में कोई संशोधन केवल एक लिखित करार द्वारा किया जाएगा जो पक्षकारों के बीच इस करार का एक परिशिष्ट होगा। इसके साक्षी के रूप में पक्षकार यहां अपने हस्ताक्षर करते हैं और मोहर लगाते हैं तथा ऊपर पहले लिखित दिन/महीना/वर्ष के अनुसार यह करार करते हैं।

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) से और उसकी ओर से (प्रथम पक्षकार) द्वारा हस्ताक्षरित, मुहरबंद और प्रदत्त	------ (दूसरा पक्ष) से और उसकी ओर से (दूसरा पक्षकार) द्वारा हस्ताक्षरित, मुहरबंद और प्रदत्त
राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार **पता:** कौशल भवन (तीसरी मंजिल) बी-2, पूसा रोड, नई दिल्ली-110005 ई-मेल............@gov.in टेलीफोन: +91 11 25788001-11 **प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता: कर्नल संतोष कुमार**	**आकलन एजेंसी का नाम........** **पता: ....** ई-मेल: ....@........ टेलीफोन: +91 11 .... **वेब पता:** **प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता: ....** **पदनाम....**

पदनाम: परिषद के सचिव सह निदेशक एनसीवीईटी	
निम्न साक्षीगण की उपस्थिति में:	
साक्षी 1 **नाम** .... **पदनाम:....** **पता:** ...	**साक्षी 2** **नाम.........** **पदनाम.......** **पता:.......**

अनुबंध V

कार्यसूची के पैरा संख्या: 4.3 से संदर्भित

<u>संशोधित प्रमाणपत्र टेम्पलेट्स</u>

क. भारतीय सेना

IA

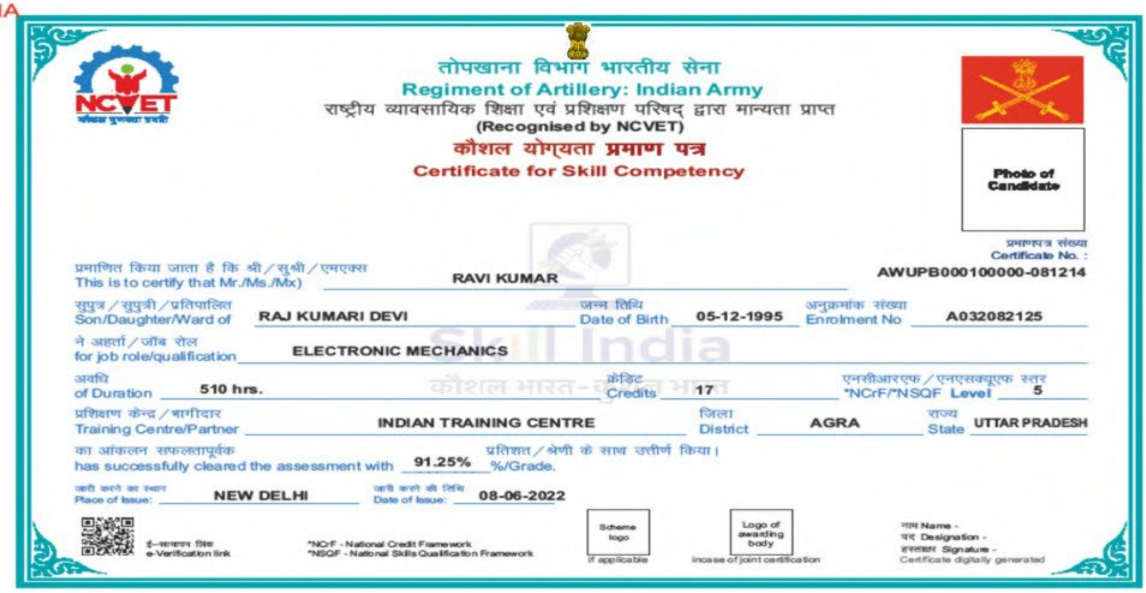

तोपखाना विभाग भारतीय सेना
Regiment of Artillery: Indian Army
राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त
(Recognised by NCVET)
कौशल योग्यता प्रमाण पत्र
Certificate for Skill Competency

Photo of Candidate

प्रमाणपत्र संख्या
Certificate No. : AWUPB000100000-081214

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/एमएक्स
This is to certify that Mr./Ms./Mx) RAVI KUMAR

सुपुत्र/सुपुत्री/प्रतिपालित
Son/Daughter/Ward of RAJ KUMARI DEVI
जन्म तिथि
Date of Birth 05-12-1995
अनुक्रमांक संख्या
Enrolment No A032082125

ने अहर्ता/जॉब रोल
for job role/qualification ELECTRONIC MECHANICS

अवधि
of Duration 510 hrs.
क्रेडिट
Credits 17
एनसीआरएफ/एनएसक्यूएफ स्तर
*NCrF/*NSQF Level 5

प्रशिक्षण केन्द्र/भागीदार
Training Centre/Partner INDIAN TRAINING CENTRE
जिला
District AGRA
राज्य
State UTTAR PRADESH

का आकलन सफलतापूर्वक
has successfully cleared the assessment with 91.25%
प्रतिशत/श्रेणी के साथ उत्तीर्ण किया।
%/Grade.

जारी करने का स्थान
Place of Issue: NEW DELHI
जारी करने की तिथि
Date of Issue: 08-06-2022

ई-सत्यापन लिंक
e-Verification link

*NCrF - National Credit Framework
*NSQF - National Skills Qualification Framework

Scheme logo
If applicable

Logo of awarding body
incase of joint certification

नाम Name -
पद Designation -
हस्ताक्षर Signature -
Certificate digitally generated

ख. डीजीटी- दीर्घकालिक- राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाणपत्र

NAC - Alt

प्रशिक्षण महानिदेशालय
DIRECTORATE GENERAL OF TRAINING
राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त
Recognised by NCVET
राष्ट्रीय अपरेन्टिसशिप प्रमाणपत्र
National Apprenticeship Certificate

Photo of Candidate

प्रमाणपत्र संख्या
Certificate No. :
DGT123456789NACC

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/एमएक्स
This is to certify that Mr./Ms./Mx)

सुपुत्र/सुपुत्री/प्रतिपालित
Son/Daughter/Ward of
जन्म तिथि
Date of Birth
अनुक्रमांक संख्या
Enrolment No

व्यवसाय
Designated Trade

अवधि
of Duration
क्रेडिट
Credits
एनसीआरएफ/एनएसक्यूएफ स्तर
*NCrF/*NSQF Level

स्थापन
Establishment
जिला
District
राज्य
State

का आकलन सफलतापूर्वक
has successfully cleared the assessment with
प्रतिशत/श्रेणी के साथ उत्तीर्ण किया।
%/grade.

जारी करने का स्थान
Place of Issue:
जारी करने की तिथि
Date of Issue:

ई-सत्यापन लिंक
e-Verification link

*NCrF - National Credit Framework | *NSQF - National Skills Qualification Framework

नाम Name -
पद Designation -
हस्ताक्षर Signature -
Certificate digitally generated

ग. डीजीटी, दीर्घकालिक - राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र

NTC

प्रशिक्षण महानिदेशालय

DIRECTORATE GENERAL OF TRAINING

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त

Recognised by NCVET

राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र

National Trade Certificate

Photo of Candidate

प्रमाणपत्र संख्या Certificate No. : DGT123456789NTCC

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/एमएक्स
This is to certify that Mr./Ms./Mx) ______

सुपुत्र/सुपुत्री/प्रतिपालित Son/Daughter/Ward of ______ जन्म तिथि Date of Birth ______ अनुक्रमांक संख्या Enrolment No ______

ने अर्हता/जॉब रोल/व्यवसाय for job role/qualification/Trade ______

अवधि of Duration from ______ to ______ क्रेडिट Credits ______ एनसीआरएफ/एनएसक्यूएफ स्तर *NCrF/*NSQF Level ______

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/भागीदार Name of the Industrial Training Insititute/Partner ______ जिला District ______ राज्य State ______

अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा/परीक्षा/निर्धारित परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया।
has successfully passed the All India Trade Test/Examination ______.

जारी करने का स्थान Place of Issue: ______ जारी करने की तिथि Date of Issue: ______

ई-सत्यापन लिंक e-Verification link

*NCrF - National Credit Framework | *NSQF - National Skills Qualification Framework

नाम Name -
पद Designation -
हस्ताक्षर Signature -
Certificate digitally generated

घ- डीजीटी-दीर्घकालिक-राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र (दोहरा)

Dual

प्रशिक्षण महानिदेशालय

DIRECTORATE GENERAL OF TRAINING

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त

Recognised by NCVET

राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र

National Trade Certificate

Dual System of Training Under CTS

Photo of Candidate

प्रमाणपत्र संख्या Certificate No. : DGT123456789NTCC

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/एमएक्स
This is to certify that Mr./Ms./Mx) ______

सुपुत्र/सुपुत्री/प्रतिपालित Son/Daughter/Ward of ______ जन्म तिथि Date of Birth ______ अनुक्रमांक संख्या Enrolment No ______

ने अर्हता/जॉब रोल/व्यवसाय for job role/qualification/Trade ______

अवधि of Duration from ______ to ______ क्रेडिट Credits ______ एनसीआरएफ/एनएसक्यूएफ स्तर *NCrF/*NSQF Level ______

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/भागीदार Name of the Industrial Training Insititute/Partner ______ जिला District ______ राज्य State ______

अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा/परीक्षा/निर्धारित परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया।
has successfully passed the All India Trade Test/Examination ______.

जारी करने का स्थान Place of Issue: ______ जारी करने की तिथि Date of Issue: ______

ई-सत्यापन लिंक e-Verification link

*NCrF - National Credit Framework | *NSQF - National Skills Qualification Framework

नाम Name -
पद Designation -
हस्ताक्षर Signature -
Certificate digitally generated

ङ. डीजीटी-दीर्घकालिक-राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र (फ्लेक्सी)

Flexi

प्रशिक्षण महानिदेशालय
DIRECTORATE GENERAL OF TRAINING
राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त
Recognised by NCVET
राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र
National Trade Certificate
Flexi MoU under CTS

Photo of Candidate

प्रमाणपत्र संख्या
Certificate No. :
DGT123456789NTCC

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/एमएक्स
This is to certify that Mr./Ms./Mx) ____________________

सुपुत्र/सुपुत्री/प्रतिपालित
Son/Daughter/Ward of ____________ जन्म तिथि Date of Birth ____________ अनुक्रमांक संख्या Enrolment No ____________

ने अर्हता/जॉब रोल/व्यवसाय
for job role/qualification/Trade ____________________

अवधि
of Duration from ____________ to ____________ क्रेडिट Credits ____________ एनसीआरएफ/एनएसक्यूएफ स्तर *NCrF/*NSQF Level ____________

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/भागीदार
Name of the Industrial Training Insititute/Partner ____________ जिला District ____________ राज्य State ____________

अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा/परीक्षा/निर्धारित परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया।
has successfully passed the All India Trade Test/Examination ____________________.

जारी करने का स्थान
Place of Issue: ____________
जारी करने की तिथि
Date of Issue: ____________

ई-सत्यापन लिंक
e-Verification link

Industrial partner logo

नाम Name -
पद Designation -
हस्ताक्षर Signature -
Certificate digitally generated

*NCrF - National Credit Framework | *NSQF - National Skills Qualification Framework

च. डीजीटी- अल्पावधिक कौशल के लिए प्रमाण पत्र

under RPL

प्रशिक्षण महानिदेशालय
DIRECTORATE GENERAL OF TRAINING
राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त
Recognised by NCVET
कौशल योग्यता प्रमाण पत्र
Certificate for Skill Competency

Photo of Candidate

प्रमाणपत्र संख्या
Certificate No. :
DGT123456789NTCC

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/एमएक्स
This is to certify that Mr./Ms./Mx) ____________________

सुपुत्र/सुपुत्री/प्रतिपालित
Son/Daughter/Ward of ____________ जन्म तिथि Date of Birth ____________ अनुक्रमांक संख्या Enrolment No ____________

ने अर्हता/जॉब रोल/व्यवसाय
for job role/qualification/Trade ____________________

अवधि
of Duration from ____________ to ____________ क्रेडिट Credits ____________ एनसीआरएफ/एनएसक्यूएफ स्तर *NCrF/*NSQF Level ____________

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/भागीदार
Name of the Industrial Training Insititute/Partner ____________ जिला District ____________ राज्य State ____________

अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा/परीक्षा/निर्धारित परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया।
has successfully passed the All India Trade Test/Examination ____________________.

जारी करने का स्थान
Place of Issue: ____________
जारी करने की तिथि
Date of Issue: ____________

ई-सत्यापन लिंक
e-Verification link

नाम Name -
पद Designation -
हस्ताक्षर Signature -
Certificate digitally generated

*NCrF - National Credit Framework | *NSQF - National Skills Qualification Framework

छ. अल्पावधिक कौशल - विश्वविद्यालय

Up

श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी

SHRI VISHWAKARMA SKILL UNIVERSITY

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त

(Recognised by NCVET)

कौशल योग्यता प्रमाण पत्र

Certificate for Skill Competency

Photo of Candidate

प्रमाणपत्र संख्या
Certificate No. :
AWUPB000100000-081214

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/एमएक्स
This is to certify that Mr./Ms./Mx) ____________

सुपुत्र/सुपुत्री/प्रतिपालित
Son/Daughter/Ward of ____________ जन्म तिथि Date of Birth ______ अनुक्रमांक संख्या Enrolment No ______

ने जॉब रोल/अर्हता का आंकलन सफलतापूर्वक
has successfully cleared the assessment in the job role/qualification ____________

अवधि
of Duration ______ क्रेडिट Credits ______ एनसीआरएफ/एनएसक्यूएफ स्तर *NCrF/*NSQF Level ______

प्रशिक्षण केन्द्र/भागीदार
Training Centre/Partner ______ जिला District ______ राज्य State ______

प्रतिशत/श्रेणी के साथ उत्तीर्ण किया।
with ______ %/Grade.

जारी करने का स्थान
Place of Issue: ______ जारी करने की तिथि Date of Issue: ______

ई-सत्यापन लिंक
e-Verification link

*NCrF - National Credit Framework
*NSQF - National Skills Qualification Framework

Scheme logo
if applicable

Logo of awarding body
incase of joint certification

नाम Name -
पद Designation -
हस्ताक्षर Signature -
Certificate digitally generated

ज. अल्पावधिक कौशल - सामान्य

STT WB

अवार्डिंग बॉडी का नाम

Name of the Awarding Body

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त

Recognised by NCVET

कौशल योग्यता प्रमाण पत्र

Certificate for Skill Competency

प्रमाणपत्र संख्या
Certificate No. :
AWUPB000100000-081214

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/एमएक्स
This is to certify that Mr./Ms./Mx) ____________

सुपुत्र/सुपुत्री/प्रतिपालित
Son/Daughter/Ward of ____________ जन्म तिथि Date of Birth ______ अनुक्रमांक संख्या Enrolment No ______

ने जॉब रोल/अर्हता का आंकलन सफलतापूर्वक
has successfully cleared the assessment in the job role/qualification ____________

अवधि
of Duration ______ Earning ______ क्रेडिट Credits at ______ एनसीआरएफ/एनएसक्यूएफ स्तर *NCrF/*NSQF Level ______

प्रशिक्षण केन्द्र पर
at Training Centre ______ जिला District ______ राज्य State ______

प्रतिशत/श्रेणी के साथ उत्तीर्ण किया।
with ______ %/Grade.

जारी करने का स्थान
Place of Issue: ______ जारी करने की तिथि Date of Issue: ______

ई-सत्यापन लिंक
e-Verification link

*NCrF - National Credit Framework
*NSQF - National Skills Qualification Framework

Scheme logo
if applicable

Logo of awarding body
incase of joint certification

Logo of awarding body
नाम Name -
पद Designation -
हस्ताक्षर Signature -
Certificate digitally generated

झ. अल्पावधिक कौशल – आरपीएल

RPL

अवार्डिंग बॉडी का नाम

Name of the Awarding Body

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त

Recognised by NCVET

पूर्व शिक्षा की मान्यता के लिए प्रमाणपत्र

Certificate for recognition of Prior Learning

प्रमाणपत्र संख्या
Certificate No. :
AWUPB000100000-081214

प्रमाणित किया जाता है कि
This is to certify that ____________________

सुपुत्र/सुपुत्री/प्रतिपालित
Son/Daughter/Ward of ____________________ जन्म तिथि Date of Birth ____________ अनुबंध संख्या Contract No. ____________

निर्दिष्ट व्यवसाय में सफलतापूर्वक मुल्यांकन प्राप्त किया
has successfully cleared the assessment in the Job Roll / Qualification ____________________

अवधि
of Duration ____________________ अर्जित किया having earned ________ क्रेडिट एनसीआरएफ/एनएसक्यूएफ स्तर Credits at NCrF/NSQF Level ________

प्रशिक्षण केन्द्र/भागीदार से
from Training Centre ____________________ जिला in District ____________________ राज्य State ____________

प्रतिशत/श्रेणी के साथ उत्तीर्ण किया।
with ____________ %/grade.

जारी करने का स्थान
Place of Issue: ____________________ जारी करने की तिथि Date of Issue: ____________________

ई-सत्यापन लिंक
e-Verification link

*NCrF - National Credit Framework
*NSQF - National Skills Qualification Framework

Scheme logo
if applicable

Logo of awarding body
नाम Name -
पद Designation -
हस्ताक्षर Signature -
Certificate digitally generated

किसी भी विवाद / विवेचन के मामले में अंग्रेजी संस्करण लागू होगा ।